रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2006/चैत्र 29, 1928
No. 363] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2006/CHAITRA 29, 1928

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2006

का.आ. 552(अ).—दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार की अध्यक्षता में गठित अधिकरण, जिसको विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(1) के अंतर्गत यह न्याय-निर्णय करने सम्बन्धी मामला भेजा गया था कि संगमों नामशः नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) को विधिविरुद्ध घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं, के आदेश को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(4) के अंतर्गत आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

31-3-2006

उपस्थित : श्री राजीव मेहरा और श्री शैलेन्द्र शर्मा, भारत संघ की ओर से अधिवक्ता

श्री गोपाल सिंह और श्री ऋतु राज बिस्वास, त्रिपुरा राज्य की ओर से अधिवक्ता

भेजे गए निर्देश के संबंध में आज की तारीख के एक पृथक आदेश द्वारा दिया गया उत्तर सकारात्मक है।

विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत गठित अधिकरण के

समक्ष

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार)

संगमो, नामशः

'नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा'

एवं 'ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स'

के मामले में

तथा

विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4 (1) के अंतर्गत संदर्भित मामले में

आदेश

1). केन्द्र सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 3 अक्तूबर, 2005 की राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 1446 (अ) के द्वारा 'नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा'तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स' (जिन्हें संक्षेप में क्रमशः 'एन.एल.एफ.टी.' एवं 'ए.टी.टी.एफ.' कहा गया है) को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया था तथा उक्त अधिसूचना में उल्लिखित परिस्थितियों के आलोक में यह मत बनाया था कि 'एन.एल.एफ.टी.' तथा 'ए.टी.टी.एफ.' को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है।

2). तदनुसार, केन्द्र सरकार ने, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश दिया था कि उक्त अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत किए जाने वाले किसी भी आदेश के अध्यधीन सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी। दिनांक 3 अक्तूबर, 2005 की उक्त राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 1446 (अ) का पाठ निम्नानुसार है:-

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001

दिनांक 3 अक्तूबर, 2005

अधिसूचना

का0आ0 1446 (अ) --- यतः नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा तथा उसके अनेक विंगों (जिसे इसमें इसके पश्चात एन0एल0एफ0टी0 कहा गया है) का स्पष्ट लक्ष्य त्रिपुरा के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के सहयोग से और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से त्रिपुरा को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र "बोरोक्लैण्ड त्विपरा" की स्थापना करना तथा अलगाव के लिए त्रिपुरा के स्थानीय लोगों को भड़काना और इस प्रकार त्रिपुरा को भारत से अलग करना है;

और यतः ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (जिसे इसमें इसके पश्चात ए0टी0टी0एफ0 कहा गया है) का स्पष्ट लक्ष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के सहयोग से त्रिपुरा , असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय तथा अरूणाचल प्रदेश को शामिल करके सात प्रदेशों के एक पृथक राष्ट्र की स्थापना करना, जिससे उक्त राज्य भारत से अलग हो सकें तथा इन राज्यों को भारत संघ से अलग करने के लिए सशस्त्र संघर्ष को जारी रखना और ऐसा करके इन राज्यों को भारत से पृथक करना है ;

और यतः केन्द्र सरकार का मत है कि एन0एल0एफ0टी0 और ए0टी0टी0एफ0:

(i) अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्रोही तथा हिंसक गतिविधियों में लिप्त हैं और इस प्रकार इन्होंने सरकार के प्राधिकार को क्षति पहुंचाई है और लोगों में डर एवं आतंक फैलाया है,

(ii) ने यूनाईटेड लिब्रेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) और मणिपुर के मैतेई उग्रवादी गुटों जैसे अन्य विधि विरूद्ध संगठनों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उनसे सम्बन्ध स्थापित किए हैं,

(iii) हाल के पिछले कुछ समय में अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई हिसक तथा विधि विरूद्ध गतिविधियों में लिप्त रहे है जोकि भारत की संप्रभुता तथा अखंडता के लिए हानिकर हैं।

और यतः केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि उनकी हिंसक एवं विधि विरूद्ध गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल है:-

(क) नागरिकों तथा पुलिस एवं सुरक्षा बलों के कार्मिकों की हत्या,

(ख) त्रिपुरा में व्यवसायियों एवं व्यापारियों सहित जनता से जबरन धन ऐंठना,

(ग) गुप्त एवं अवैध माध्यमों से भारी मात्रा में अत्याधुनिक शस्त्र एवं गोलाबारूद प्राप्त करना तथा उन्हें गुप्त रूप से पड़ोसी देश के माध्यम से त्रिपुरा में लाना,

(घ) सुरक्षित आश्रय, प्रशिक्षण, शस्त्र एवं गोलाबारूद आदि की प्राप्ति के प्रयोजन के लिए पड़ोसी देश में शिविर स्थापित करना तथा उन्हें बनाए रखना,

(ङ) त्रिपुरा में जनजातीय एवं गैर जनजातीय समुदायों के बीच सांप्रदायिक संघर्ष उत्पन्न करने एवं उसमें वृद्धि करने के लिए त्रिपुरा के दूसरे जनजातीय उग्रवादी संगठनों के साथ संबंध स्थापित करना और उन्हें बनाए रखना।

और यतः केन्द्र सरकार का यह मत है कि एन0एल0एफ0टी0 और ए0टी0टी0एफ0 की उपरोक्त गतिविधियां भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के प्रतिकूल हैं तथा ये विधि विरूद्ध संगम हैं,

अतः अब, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) को इसके सभी गुटों शाखाओं और प्रमुख संगठनों सहित तथा आल त्रिपुरा टाईगर फोर्स (एटीटीएफ) को इसके सभी गुटों शाखाओं और प्रमुख संगठनों सहित विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है।

और यतः केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि यदि एन.एल.एफ.टी. तथा ए.टी.टी.एफ. की विधिविरूद्ध गतिविधियों पर तत्काल नियंत्रण न किया गया तो इन संगठनों को निम्नलिखित कार्यों के करने का अवसर मिल जाएगा:-

(i) अलगाववादी, विद्रोही, आतंकवादी एवं हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपने काडरों को संगठित करना;

(ii) भारत की संप्रभुता एवं राष्ट्रीय अखण्डता के प्रति वैमनस्य भाव रखने वाली शक्तियों के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियो का प्रचार करना;

(iii) अधिकाधिक नागरिकों की हत्याएं करने में संलिप्त रहना तथा पुलिस एवं सुरक्षा बलों के कार्मिकों को निशाना बनाना;

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार से और अधिक गैर कानूनी हथियार एवं गोलाबारूद प्राप्त करना और लाना;

(v) अपनी गतिविधियों के लिए जनता से बड़ी राशि इकट्ठी करना तथा जबरन धन ऐंठना;

और यतः, केन्द्र सरकार की उक्त स्थितियों के मद्देनजर यह राय है कि एन0एल0एफ0टी0 और ए0टी0टी0एफ0 को तत्काल प्रभाव से विधि विरूद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत किए जाने वाले किसी भी आदेश के अध्यधीन, सरकारी राजपत्र मे इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

(एच. एस. ब्रह्मा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
(फा0 सं0 11011/47/2005-एन.ई.III)

3). केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29 अक्तूबर, 2005 की अनुवर्ती अधिसूचना सं. का.आ. 1548 (अ) के द्वारा मेरी अध्यक्षता में 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण' (जिसे इसमें इसके बाद 'अधिकरण' कहा गया है) का गठन यह न्यायनिर्णय करने के लिए किया है कि ***एनएलएफटी और एटीटीएफ को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान हैं अथवा नहीं।*** दिनांक 29 अक्तूबर, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1548 (अ) का पाठ निम्नवत है:-

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2005

का.आ. 1548 (अ). - विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार यह निर्धारित करने के लिए कि क्या नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा तथा आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, एतद्द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार की अध्यक्षता में एक "विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिकरण" का गठन करती है।

[फा.सं. 11011/47/2005-एन.ई. III]
राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव (एन.ई.)

4. केन्द्र सरकार से उनके 31 अक्तूबर, 2005 के पत्र सं. 11011/47/2005-एनई III के माध्यम से अधिनियम की धारा 4 (1) के अधीन एक निदेश, एनएलएफटी और एटीटीएफ के उद्देश्यों/लक्ष्यों तथा उनकी हिंसक गतिविधियों को उजागर करने के संक्षिप्त ब्यौरे के साथ प्राप्त हुआ है। ब्यौरे में निम्नलिखित तथ्यों एवं दृढ़ कथनों का उल्लेख किया गया है:-

1. त्रिपुरा पिछले 20 वर्षों से विद्रोह का सामना कर रहा है । यद्यपि 20 सशस्त्र जनजातीय संगठनों की स्पष्ट रूप से पहचान कर ली गई है किन्तु अधिकतर हत्याओं के लिए जिम्मेदार केवल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स में कुछ वैचारिक समानताएं हैं जिनसे उनकी मुख्य गतिविधियों में आर्थिक लाभों के लिए हत्याएं, लूटपाट, जबरन धन वसूली, व्यपहरण आदि शामिल हैं। अधिकतर हिंसा गैर-जनजातीय लोगों के प्रति की जाती है।

2. नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एएनएलएफटी) और आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) त्रिपुरा को शेष भारत से अलग करने तथा एक नए देश की स्थापना करने की मांग करके अलगाववादी प्रवृतियां फैला रहे थे। जहां एनएलएफटी शुरू से ही अलग देश की मांग कर रहा है वहीं एटीटीएफ की अलगाववादी प्रवृतियां 1997 में गठित इसके राजनीतिक विंग त्रिपुरा पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (टीपीडीएफ) द्वारा सशस्त्र आन्दोलन के माध्यम से 'राष्ट्रीय स्वतंत्रता' की बात किए जाने तथा भारतीय

सेना/सुरक्षा बलों को 'भारतीय आधिपत्य बलों' तथा भारत की स्वतंत्रता को 'औपनिवेशिक गुलामी' की संज्ञा दिए जाने के समय से अधिक स्पष्ट हुई हैं। एटीटीएफ भारत के साथ त्रिपुरा के विलय का भी विरोध करता रहा है। ये दोनों संगठन लोकतांत्रिक रूप से चुनी तथा विधिक रूप से गठित सरकारों को उखाड़ फैंकने के अपने उद्देश्य को हांसिल करने के साधनों के रूप में न केवल सशस्त्र क्रांति एवं हिंसा में विश्वास करते हैं बल्कि ये हिंसा, निर्दोष लोगों की हत्या तथा नृजातीय गड़बड़ियों में भी शामिल रहे हैं। दोनों संगठन राष्ट्रीय दिवस समारोहों का भी बहिष्कार करते रहे हैं।

3. राज्य में 28 पुलिस थानों को पूर्ण रूप से अशान्त तथा 6 पुलिस थानों को आंशिक रूप से अशान्त घोषित किए जाने के बावजूद एनएलएफटी तथा एटीटीएफ दोनों हत्या तथा लूटपाट की कार्रवाइयों को जारी रखे हुए हैं। एनएलएफटी तथा एटीटीएफ की हिंसक गतिविधियां अभी भी जारी हैं। ये दोनों संगठन त्रिपुरा से गैर-जनजातीय लोगों, विशेष रूप से बंगालियों, को बाहर करने तथा मौका मिलने पर उन पर हमला करने का समर्थन करते रहे हैं जिसके कारण मामूली उकसावे पर बार-बार नृजातीय संघर्ष/तनाव पैदा हो जाते हैं। राज्य में जनजातीय-गैर-जन-जातीय लोगों के बीच तनाव इन आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों के कारण बना हुआ है।

4. एटीटीएफ तथा एनएलएफटी की हिंसा का स्तर नीचे दिया गया है:-

वर्ष	एटीटीएफ तथा एनएलएफटी द्वारा मारे गए व्यक्तियों (सुरक्षा बल/पुलिस) की संख्या		
	एटीटीएफ	एनएलएफटी	व्यपहरण
1999	42(7)	154 (33)	-
2000	23(4)	216(11)	484
2001	47(9)	172(26)	168
2002	48(1)	114(40)	140
2003	106(23)	109(14)	174
2004	48(15)	57(31)	57
2005 (15 अक्तूबर तक)	5(3)	21(03)	45

5. 1993 के मध्य में गठित एटीटीएफ के सदस्यों की संख्या लगभग 350 कट्टर सशस्त्र काडर हैं तथा इसका नेतृत्व रंजीत देबबर्मा द्वारा किया जाता है। यह पूरे ढलाई जिले, पश्चिम त्रिपुरा जिले के खोवई, कल्याणपुर, तेलियामुरा, जिरेनिया, तकरजला तथा सिधाई पुलिस थाना क्षेत्रों, उत्तरी त्रिपुरा जिले के कैलाशनगर, फटीकराय तथा कंचनपुर पुलिस थाना क्षेत्र तथा दक्षिण त्रिपुरा जिले के बीरगंज, आर.के. पुर, तायडु और औम्पी पुलिस थाना क्षेत्रों में सक्रिय हैं। 1989 में गठित तथा विस्व मोहन देबबर्मा के नेतृत्व वाले एनएलएफटी के काडरों की अनुमानित संख्या 600 तथा हथियारों की संख्या 350 है। इसका प्रभाव सम्पूर्ण ढलाई जिले, पश्चिम त्रिपुरा जिले के कल्याणपुर तथा तकरजला पुलिस थाना क्षेत्र, उत्तरी त्रिपुरा जिले के कंचनपुर और वधमान पुलिस थाना क्षेत्रों तथा दक्षिण त्रिपुरा जिलों के बीरगंज, तायडू, नूतन बाजार, शान्तीर बाजार एवं ओम्पी पुलिस थाना क्षेत्रों में है। त्रिपुरा में फरवरी, 1997 में 19 पुलिस थानों तथा बाद में और क्षेत्रों को 'अशान्त' क्षेत्र घोषित किए जाने का एनएलएफटी की गतिविधियों पर कोई प्रभाव नही पड़ा है। बल्कि यह संगठन विभिन्न क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने तथा त्रिपुरा में प्रमुख आतंकवादी संगठन के रूप में उभरने में सफल रहा है।

6. एटीटीएफ तथा एनएलएफटी दोनों के बंगलादेश में प्रशिक्षण शिविर और छिपने के अड्डे हैं तथा ये हिंसा की प्रमुख घटनाओं में शामिल होने के बाद आश्रय के लिए बार-बार बंगलादेश के भू-भाग का प्रयोग करते रहे हैं। इनमें से अधिकांश घटनाओं की योजनाएं बंगलादेश में तैयार की गई हैं तथा इनको वहीं से निष्पादित किया गया है। इन्होंने बड़ी तादाद में अत्याधुनिक हथियार प्राप्त कर लिए हैं तथा इनके पूर्वोत्तर के अन्य विद्रोही संगठनों के साथ गहन संबंध रखने की सूचना है। हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि त्रिपुरा में अपने अभियानों को चलाने के लिए एक ओर एनएलएफटी और एनएससीएन (आईएम) के बीच तथा दूसरी ओर एटीटीएफ और उल्फा के बीच अवैध संबंध बढ़ रहे हैं।

7. इन जनजातीय उग्रवादियों/सशस्त्र शरारती तत्वों ने पुलिस/सुरक्षा बलों तथा निर्दोष गैर जनजातियों (विशेष रूपसे बंगालियों) पर हमला करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई है ताकि उन्हें त्रिपुरा छोड़ने के लिए बाध्य किया जा सके। इन आतंकवादियों के अधिकांश पीड़ित गैरजनजातीय, विशेष रूप से बंगाली लोग हैं। इससे त्रिपुरा राज्य में जनजातीय तथा गैरजनजातीय लोगों के बीच वैमनस्य पैदा हो गया है जिससे यहां हिंसक नृजातीय संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप यहां मामूली उकसावे पर नृजातीय संघर्ष पैदा हो जाते हैं।

8. एनएलएफटी तथा एटीटीएफ को पूर्व में 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967' के तहत 3 अक्तूबर, 2003 से 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित किया गया था। न्यायमूर्ति श्री आर. सी. जैन की अध्यक्षता में गठित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण ने 24.3.2004 के आदेश के तहत एनएलएफटी तथा एटीटीएफ पर लगाए गए प्रतिबंध को बढ़ाए जाने की पुष्टि की थी। इस घोषणा को 3 अक्तूबर, 2005 से 2 वर्ष की और अवधि तक बढ़ा दिया गया है।

9. इस तथ्य के बावजूद,कि एनएलएफटी तथा एटीटीएफ पर अब निरन्तर 8 वर्ष से प्रतिबंध लगा हुआ है, त्रिपुरा में जनजातीय विद्रोह सुरक्षा का गम्भीर विषय बना हुआ है। एनएलएफटी तथा एटीटीएफ दोनों अवैध कर वसूली, जबरन धन ऐंठकर तथा फिरौती के लिए अपहरण के द्वारा भारी तादाद में धन इकट्ठा करना जारी रखे हुए हैं। एनएलएफटी तथा एटीटीएफ द्वारा शस्त्रों का प्रापण भी जारी है। अतः प्रतिबंध के और विस्तार के संबंध में निर्णय लेने से पूर्व निम्नलिखित बातों पर गौर किया गया है:-

i. एनएलएफटी तथा एटीटीएफ दोनों के अपने संविधान हैं जिनमें उनके अंतिम उद्देश्य के रूप में अलग जन जातीय राज्य की मांग करके भारत से त्रिपुरा को अलग करने का उल्लेख किया गया है ;

ii. एनएलएफटी तथा एटीटीएफ अनेक हिंसक घटनाओं, सेना तथा पुलिस कार्मिकों से शस्त्रों एवं गोलाबारूद की लूटपाट के लिए जिम्मेदार रहे हैं। इन घटनाओं में बड़ी संख्या में सेना, पुलिस कार्मिकों एवं आम नागरिकों की जानें गई हैं;

iii. इसके अतिरिक्त, एनएलएफटी तथा एटीटीएफ शस्त्रों एवं गोलाबारूद के प्रापण तथा अपने नेताओं एवं काडरों के लिए जबरन धन ऐंठने तथा अवैध कर वसूली का सहारा लेना जारी रखे हुए हैं;

iv. एटीटीएफ तथा एनएलएफटी दोनों ने पूर्वोत्तर के अन्य उग्रवादी संगठनों के साथ सम्पर्क स्थापित कर लिए हैं। ऐसी सूचना है कि एनएलएफटी ने नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड के इसाक-मुईवाह [गुट (एनएससीएन (आई/एम)] के साथ गहन संबंध विकसित कर लिए हैं। दूसरी ओर एटीटीएफ के यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) तथा मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों के साथ भी संबंध हैं;

v. एटीटीएफ तथा एनएलएफटी दोनों के बंगलादेश में प्रशिक्षण शिविर और छिपने के अड्डे हैं तथा ये हिंसा की प्रमुख घटनाओं में शामिल होने के बाद आश्रय के लिए बार-बार बंगलादेश के भू-भाग का प्रयोग करते रहे हैं। इनमें से अधिकांश घटनाओ की योजनाएं बंगलादेश में तैयार की गई हैं तथा इनको वहीं से निष्पादित किया गया है;

vi. एनएलएफटी तथा एटीटीएफ दोनों अवैध शस्त्रों एवं गोलाबारूद के प्रापण में लगे हुए हैं। इन शस्त्रों को या तो विदेशों में अवैध शस्त्र व्यापारियों से खरीदकर देश में उनकी तस्करी की जाती है अथवा उन्हें विभिन्न सुरक्षा बलों से छीना जाता है।

10. त्रिपुरा सरकार, रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालय, आसूचना ब्यूरो, मंत्रिमंडल सचिवालय (अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा सीमा सुरक्षा बल ने एनएलएफटी और एटीटीएफ पर लगे प्रतिबंध को 2 अक्तूबर, 2005 के बाद 2 वर्ष की और अवधि तक बढ़ाए जाने की सिफारिश की है।

11. संक्षेप में, एनएलएफटी तथा एटीटीएफ दोनों को 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967' के अंतर्गत 3 अक्तूबर, 2005 से 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित किए जाने के समर्थन में निम्नलिखित कारण सूचीबद्ध किए गए हैं:-

i. एनएलएफटी द्वारा त्रिपुरा को भारत से अलग करने की नीति का निरन्तर रूप से समर्थन करना तथा एटीटीएफ द्वारा सात राज्यों को मिलाकर एक अलग राष्ट्र का गठन।

ii. भारत की संप्रभुता तथा अखंडता के लिए हानिकर गतिविधियों में सतत रूप से शामिल रहना।

iii. अपने उद्देश्य की प्राप्ति के साधन के रूप में सशस्त्र कार्रवाई के माध्यम से हिंसा एवं आतंक को अपनाना।

iv. व्यवसायियों, व्यापारियों तथा सरकारी कर्मचारियों सहित आम जनता से बड़े पैमाने पर जबरन धन ऐंठना तथा अवैध कर वसूली करना।

v. पूर्वोत्तर के अन्य विद्रोही संगठनों के साथ सम्पर्क तथा उनको समर्थन। जबकि एनएलएफटी ने नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड के इसाक-मुइवाह गुट (एनएससीएन (आई/एम) के साथ संबंध स्थापित कर लिए हैं, वहीं एटीटीएफ ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) तथा मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों के साथ संबंध बना लिए हैं।

vi. पड़ौसी बंगलादेश में शरण स्थल, सुरक्षित आश्रय तथा प्रशिक्षण शिविरों को निरन्तर रूप से बनाए रखना।

vii. छिपे तरीकों से अथवा विभिन्न सुरक्षा बलों से छीनकर बड़ी तादाद में परिष्कृत शस्त्र एवं गोलाबारूद का प्रापण।

12. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में नेशनल लिबरेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) तथा आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) दोनों को पूर्व अधिसूचना की वैधता समाप्त होने की तारीख 3.10.2005 के

पश्चात् 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3(3) के परन्तुक के साथ पठित धारा 3(1) के अंतर्गत 'विधिविरुद्ध संगम' के रूप में घोषित करना जरूरी समझा गया। इससे वे अपने नकारात्मक उद्देश्यों तथा क्रियाकलापों का खुले-आम प्रचार करने तथा आम जनता का समर्थन प्राप्त करने में हतोत्साहित होंगे। इससे उनके समर्थकों को एटीटीएफ तथा एनएलएफटी को आश्रय देने तथा सहायता देने से रोका जा सकेगा। तदनुसार एनएलएफटी तथा एटीटीएफ को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत दिनांक 3.10.2005 से विधिविरूद्ध संगम के रूप में घोषित किया गया है और उपर्युक्त घोषणा को उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तत्काल रूप से प्रभावी बना दिया गया। इस संबंध में जारी की गई दिनांक 3.10.2005 की अधिसूचना सं. का.ज्ञा. 1446 (अ) की एक प्रति संलग्न है।

5). विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत अधिकरण का एक रजिस्ट्रार भी नियुक्त कर दिया गया था जिसने 9 नवम्बर, 2005 को आयोजित अधिकरण की पहली बैठक में अधिकरण के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। इस अधिकरण की पहली सुनवाई 9 नवम्बर, 2005 को की गयी थी। केन्द्रीय सरकार तथा त्रिपुरा राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व काउन्सेल ने किया था परन्तु एनएलएफटी और एटीटीएफ की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

6). इस अधिसूचना तथा निदेश के अनुसरण में अधिकरण ने अधिनियम की धारा 4(2) के अंतर्गत एनएलएफटी तथा एटीटीएफ दोनों को अलग-अलग कारण बताओ नोटिस जारी करने के निदेश दिए कि वे इन नोटिसों के प्रकाशन/तामील होने की तारीख से 30 दिनों के अन्दर यह स्पष्ट करें कि उन संगमों को विधिविरुद्ध क्यों न घोषित कर दिया जाए तथा अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (1) के अंतर्गत की गई घोषणा की सम्पुष्टि के आदेश क्यों न जारी किए जाएं। इन नोटिसों को निम्नलिखित ढंग से तामील कराने के निदेश दिए गए:-

i. इन नोटिसों की प्रतियों को उपर्युक्त संगमों के कार्यालयों, यदि कोई हों, के स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थलों पर चिपकाया जाए और इन नोटिसों को इन संगमों के क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर चिपकाया जाए तथा प्रभावी बनाया जाए;

ii. उन क्षेत्रों में जहां इन संगठनों की गतिविधियाँ सामान्य रूप से चल रही होती हैं, अधिकरण के गठन की अधिसूचना तथा नोटिस की विषयवस्तु को लाउडस्पीकर पर या ढोल बजाकर उद्घोषणा द्वारा;

iii. त्रिपुरा से प्रकाशित अखबारों में नोटिस छपवा कर तथा इन संगठनों के क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक तथा अन्य प्रिन्ट मीडिया द्वारा।

7). पुनः यह निदेश दिया गया कि उपर्युक्त सभी साधनो से तीस दिनों के अन्दर नोटिस की तामील की जाए और नोटिसों के तामील की सूचना राज्य/केन्द्रीय सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक हलफनामा भरकर 10 जनवरी, 2006 से पहले अधिकरण के रजिस्ट्रार को दे दी जाए। केन्द्रीय सरकार

तथा त्रिपुरा सरकार से भी यह कहा गया कि वे अपने गवाहों के हलफनामे तथा वे दस्तावेज 10 जनवरी, 2006 से पहले फाइल करा दें जिनके भरोसे पर उल्लिखत संगठनों को विधिविरुद्ध घोषित कराने का आधार तथा तर्क दिया गया।

8). परिणामस्वरूप, श्री आर.आर. झा, निदेशक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का हलफनामा दे दिया गया जिन्हें अधिसूचना में लिए गए विभिन्न कदमों के बारे में तथा अधिकरण द्वारा प्रस्तावित न्याय निर्णय के लिए प्रतिवादी बनाया गया। प्रतिवादी ने एनएलएफटी तथा एटीटीएफ पर तामील प्रभावी बनाने के लिए त्रिपुरा सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का विस्तृत ब्यौरा दिया। यह उद्घाटित किया गया कि इन संगठनों के कार्यालयों, यदि कोई हों, के खुले भाग पर इन नोटिसों की प्रतियां चिपकाकर तामील करने के लिए पुलिस महानिदेशक को निदेश दिया गया। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक ने सूचना दी कि एनएलएफटी या एटीटीएफ का त्रिपुरा में कोई कार्यालय नहीं है। इन संगठनों और एसोसिएशनों के गिरफ्तार किए गए और आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों से की गई पूछताछ तथा उपलब्ध आसूचना के आधार पर यह बताया गया कि इन संगठनो के बंगलादेश में चोरी-छिपे ढंग से बनाए गए शिविर हैं। चूंकि, इन संगठनों के भारत में कोई कार्यालय नहीं हैं अतः इन विधिविरुद्ध संगमों के कार्यालयों के खुले भाग पर नोटिसों की प्रतियां चिपकाकर इन संगठनो को नोटिसों की तामीली नहीं की जा सकी। तथापि, जिलाधिकारी ने पुष्टि की है कि उन क्षेत्रों में जहां इन संगठनो की गतिविधियां सामान्यतः चलाई जाती हैं, इस अधिकरण के नोटिसों की विषयवस्तु को लाउडस्पीकर पर और या ढोल बजाकर उद्घोषणा की गई। इस संबंध में त्रिपुरा सरकार के दिनांक 02.12.2005 के पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई। यह भी बताया गया कि इस अधिकरण के कारण बताओ नोटिसों को स्थानीय अखबार 'दैनिक सम्बाद' में प्रकाशित कराया गया था। इन नोटिसों को दिनांक 20.11.05 को 'जनसत्ता' (हिन्दी) तथा 19.11.2005 को 'दी टेलीग्राफ' (अंग्रेजी) नामक दो राष्ट्रीय दैनिक अखबारों में भी प्रकाशित कराया गया। नोटिस छपे इन अखबारों की कतरनों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गईं और उनके बारे में प्रतिवाद किया गया। त्रिपुरा सरकार ने अपने दिनांक 30.11.2005 के पत्र द्वारा इस बात की पुष्टि की है कि इस अधिकरण के नोटिस को दिनांक 29.11.2005 तथ 30.11.2005 को आकाशवाणी केन्द्र, अगरतला के स्थानीय आकाशवाणी केन्द्रों तथा दिनांक 27.11.05 को दूरदर्शन, अगरतला के समाचार बुलेटिन के जरिए प्रसारित तथा टेलीप्रसारित कराके व्यापक प्रचार किया गया। रेडियो और दूरदर्शन से प्रचार के सम्बन्ध में त्रिपुरा सरकार के दिनांक 30.11.2005 के पत्र की एक प्रति भी प्रस्तुत की गई।

9). नोटिस जारी करने तथा प्रकाशित करने की पुष्टि त्रिपुरा सरकार के आवास आयुक्त द्वारा भी की गई जिसने एक हलफनामा प्रस्तुत किया तथा प्रतिवाद किया कि ये नोटिस निर्धारित तरीकों के अनुरूप इन संगठनो के नाम से जारी किए जाएं। प्रकाशित किए गए तथा इनके समर्थन में पत्राचार एवं प्रशस्तियों की प्रतियां भी फाइल की गयी। इस अधिकरण द्वारा जारी किए गए इन नोटिसों को सुनिश्चित करने के लिए अधिकरण के रजिस्ट्रार तथा अन्य कर्मचारियों ने त्रिपुरा राज्य का दौरा किया। इन अधिकारियों ने 30 नवम्बर, 2005 को त्रिपुरा के पश्चिम जिला की तहसील सदर स्थित हजेनारा ब्लाक का दौरा किया और जारी नोटिसों की बीडीओ के कार्यालयों तथा बाजार में प्रमुख स्थानों पर चिपका हुआ पाया। इन अधिकारियों ने दिनांक 1 दिसम्बर, 2005 को पश्चिम त्रिपुरा जिले की खोवाई तहसील तथा

ढलाई जिले की अम्बासा तहसील का दौरा भी किया और इन नोटिसो को बाजार तथा अन्य मुख्य स्थानों पर चिपका हुआ पाया। 2 दिसम्बर, 2005 को इन अधिकारियों ने उत्तर त्रिपुरा जिले का तथा 3 दिसम्बर, 2005 को दक्षिण त्रिपुरा जिले का दौरा किया तथा इन नोटिसो को प्रमुख स्थानों तथा बाजरो में चिपका एवं लगा हुआ पाया। अधिकरण के गठन तथा कारण बताओ नोटिस को ढोलों को बजाकर तथा लाउडस्पीकारों के द्वारा किए गए प्रचार के बारे में इन अधिकारियों ने उन क्षेत्रों के लोगों से पता लगाया जहां एनएलएफटी तथा एटीटीएफ की गतिविधियां सामान्यतः चलाई जाती हैं। अधिकरण के रजिस्ट्रार ने भी पश्चिम त्रिपुरा के खोवाई सब-डिवीजन तथा ढलाई जिले के अम्बासा सब-डिवीजन में संबंधित क्षेत्रों में बंगाली में तथा त्रिपुरा जनजातीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली स्थानीय भाषा लाउडस्पीकर द्वारा किए गए प्रचार को देखा।

10). अधिकरण तथा विभिन्न तरीकों से इसकी बैठकों के बारे में किए गए प्रचार के बावजूद किसी भी व्यक्ति ने उपस्थित होकर सरकार द्वारा जारी की गई इस अधिसूचना का विरोध नहीं किया। एनएलएफटी तथा एटीटीएफ इन दोनों संगमों में से किसी ने भी इस संबंध में कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया है कि उक्त संगमों को विधिविरुद्ध संगम क्यों न घोषित कर दिया जाए। इन संगमों का भी कोई प्रतिनिधि अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है। अधिकरण की किसी भी सुनवाई के दौरान कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ। अधिकरण की सुनवाई अगरतला में भी हुई तथा त्रिपुरा राज्य सरकार के कुछ गवाहों से अगरतला में पूछताछ की गई। तथापि इन संगमों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और किसी ने भी सरकार की अधिसूचना का विरोध नहीं किया है अथवा कोई दलील या ऐसे तथ्य प्रस्तुत नही किए हैं जिन पर एटीटीएफ तथा एनएलएफटी को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने सम्बन्धी भारत सरकार की अधिसूचना पर गौर करते समय विचार किया जा सकता हो।

11). विधिविरुद्ध घोषित किए जाने वाले संगठनों की ओर से मात्र विरोध न किया जाना और सरकार द्वारा उनकी दलीलों और आधारों पर विचार किए बिना उन्हें विधिविरुद्ध घोषित किए जाने और केन्द्रीय सरकार द्वारा 3 अक्तूबर, 2005 को जारी अधिसूचना संख्या 1446 (अ) की सम्पुष्टि किए जाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप' तथा 'विधिविरुद्ध संगम' को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 2(च) तथा (छ) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है जो निम्न प्रकार हैं:

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967

2. परिभाषाएं: इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(च) 'विधिविरुद्ध क्रिया' से किसी व्यष्टि या संगम के संबंध में, ऐसे व्यष्टि या संगम द्वारा (चाहे कोई कार्य करके, या बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा, या संकेतों द्वारा, या दृश्यरूपण द्वारा या अन्यथा) की गई कोई ऐसी कार्रवाई अभिप्रेत है,-

(i) जो किसी भी आधार पर, चाहे वह कुछ भी हो, भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण या भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग का संघ से विलग हो जाना घटित

करने के लिए आशायित है, या उसके लिए किसी दावे का समर्थन करती है, या जो ऐसा अध्यर्पण या विलग हो जाना घटित करने के लिए किसी व्यष्टि या व्यष्टियों के समूह को उद्दीप्त करती है;

(ii) जिससे भारत की प्रभुता और प्रादेशिक अखण्डता का अनु-अंगीकरण होता है या उन पर आक्षेप होता है या जो उन्हें विच्छिन्न करती है या विच्छिन्न करने केलिए आशायित है;

(छ) "विधिविरुद्ध संगम" से कोई ऐसा संगम अभिप्रेत है-

(i) जिसका उद्देश्य कोई विधिविरुद्ध क्रिया है या जो कोई विधिविरुद्ध क्रिया करने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है या उसकी सहायता करता है अथवा जिसके सदस्य ऐसी क्रिया करते हैं; अथवा

(ii) जिसका उद्देश्य भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 153क या धारा 153ख के अधीन दण्डनीय कोई कार्य है या जो कोई ऐसा कार्य करने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है या उनकी सहायता करता है अथवा जिसके सदस्य कोई ऐसा कार्य करते हैं;

परन्तु उपखण्ड (ii) की कोई बात जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होगी।

इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि इस प्रश्न का निर्धारण, कि क्या कोई संगम धारा 3 की उप धारा (1) के अंतर्गत की गई घोषणा के अनुसार विधिविरुद्ध संगम है अथवा बन गया है, वस्तुनिष्ठ निर्णय पर आधारित होना चाहिए; तथा निर्धारण ऐसा होना चाहिए कि इस प्रकार के संगम द्वारा " की गई कोई कार्रवाई" विधिविरुद्ध क्रियाकलाप हो" जो उस संगम का उद्देश्य है अथवा उसका उद्देश्य ऐसी कोई कार्रवाई करना हो जो भारतीय दंड संहिता की धारा 153क अथवा धारा 153ख के अंतर्गत दंडनीय हो। किसी उद्देश्य निर्धारण में निकाले गए किसी निष्कर्ष के आधार पर ही धारा 3 की उप धारा (1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कोई घोषणा की जा सकती है।

12). खड (च) में परिभाषित किसी "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप" से तात्पर्य उस खंड में विनिर्दिष्ट किसी "की गई कार्रवाई" से है। दूसरे शब्दों में, "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप" करने वाले इस प्रकार के संगम द्वारा "की गई कोई कार्रवाई" परिभाषा में विनिर्दिष्ट प्रकार की होनी चाहिए। इन तथ्यों का निर्धारण अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (1) के अंतर्गत किसी संगम को विधिविरुद्ध घोषित किए जाने का आधार होता है खंड (छ) में "विधिविरुद्ध संगम" को उसके उप खंड (झ) में "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप" के संदर्भ में परिभाषित किया गया है तथा उप खंड (ii) में इसका संबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 153-क अथवा 153-ख के अंतर्गत दंडनीय अपराधों से है। उप-खण्ड (ii) में वस्तुनिष्ठ निर्धारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153-क या धारा 153-ख के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों के संदर्भ में है जबकि उप खण्ड (i) में यह खण्ड (च) में यथापरिभाषित 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप' के संदर्भ में है। धारा 3 की

उप-धारा (2) में यह अपेक्षा की जाती है कि उप धारा (1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना के उन आधारों को निर्धारित किया जाए जिन पर यह जारी की गई है और वे अन्य विवरण बताए जाएं जिन्हें केन्द्रीय सरकार जानना जरूरी समझे। यह जरूरत इंगित करती है कि संगम को कार्रवाई का आधार बताए जाने के साथ-साथ उस कार्रवाई का निष्पादन उद्देश्यपरक हो।

13). सामान्यतः धारा 3 की उप धारा (1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना उचित जांच पड़ताल के पश्चात धारा 4 के अन्तर्गत अधिकरण द्वारा की गई पुष्टि के बाद ही प्रभावी होती है, परन्तु असाधारण परिस्थितियों में इसे तत्काल प्रभाव से प्रभावी करने की जरूरत होती है, तो यह केन्द्रीय सरकार द्वारा 'कारणों का लिखित में उल्लेख करने' तथा अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत किए गए किसी आदेश के अध्यधीन भी किया जा सकता है। धारा 3 में मामले को केन्द्रीय सरकार द्वारा वस्तुनिष्ट निर्धारण की तथा धारा 4 में केन्द्रीय सरकार के कार्य की अधिकरण द्वारा पुष्टि की जरूरत होती है। धारा 4 अधिकरण के विचार से संबंधित है। उप-धारा (1) में केन्द्रीय सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि धारा 3 की उप धारा (1) के अन्तर्गत जारी आदेश को **'यह न्याय निर्णय करने के उद्देश्य के लिए कि किसी संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं'** अधिकरण के पास भेजेगा। अधिकरण के पास संदर्भ के लिए भेजे जाने का उद्देश्य केवल यह देखना है कि उक्त घोषणा करने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं।

14). इस संदर्भ में 'न्याय निर्णय' तथा 'पर्याप्त कारण' शब्द महत्वपूर्ण हैं। निदेश प्राप्त होने पर उप-धारा (2) अधिकरण से प्रभावित संगम को 'कारण दर्शाते हुए लिखित नोटिस देने' की अपेक्षा करती है कि संगम को विधिविरुद्ध क्यों न घोषित कर दिया जाए, जब तक इस आधार पर, जिस पर घोषणा की जाती है और इसके विरुद्ध कारण बताने का उपयुक्त अवसर हो, प्रभावी नोटिस नहीं लिया जाता तब तक यह आवश्यकता अर्थहीन होगी। उक्त नोटिस में बताए गए कारण पर विचार करने के बाद उप धारा (3) अधिकरण द्वारा एक विशिष्ट जाँच पड़ताल विनिर्दिष्ट करती है। किसी भी संगठन को विधिविरुद्ध घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं, यह निर्णय करने के लिए अधिकरण केन्द्र सरकार या एसोसिएशन से भी आवश्यक समझे जाने पर ऐसी अन्य सूचना मंगा सकता है। अधिकरण को एक ऐसा आदेश जारी करने की जरूरत है जिसमें वह '' अधिसूचना में की गई घोषणा की पुष्टि अथवा उसे निरस्त'' करने के लिए उपयुक्त मान सकता है।

15). अधिकरण द्वारा की जाने वाली जाँच में यह अपेक्षा की जाती है कि इसमें उस सामग्री, जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा धारा 3 की उप धारा (1) के तहत अधिसूचना जारी की जाती है, जारी किए गए नोटिस के उत्तर में संगम द्वारा बताए गए कारण की जाँच की जाए तथा इस संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने के संबंध में पर्याप्त कारण की मौजूदगी के बारे में निर्णय करने के लिए अधिकरण द्वारा मांगी गई इस प्रकार की और किसी सूचना पर विचार किया जाए। इस समूची प्रक्रिया में दोनों पक्षों द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर वास्तविक निर्धारण करना अपेक्षित होता है। सामग्री की विश्वसनीयता साधारणतः वस्तुनिष्ठ आकलन करने में सक्षम होनी चाहिए।

अधिकरण द्वारा यह निर्णय करना होता है "क्या संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है अथवा नहीं।" इस प्रकार के निर्धारण के लिए यह जरूरी है कि अधिकरण ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत सामग्री इसके विपरीत सामग्री से काफी प्रभावी हो। इस संदर्भ में अत्यधिक संभावना की कसौटी अधिक व्यावहारिक लगती है।

16). अवैध घोषित किए जाने वाले संगठनों की तरफ से कोई विरोध न होने और अधिकरण के समक्ष कुछ भी सामग्री प्रस्तुत न किए जाने के बावजूद केन्द्रीय सरकार द्वारा आधार बनाई गई और प्रस्तुत की गई सामग्री तथा इन संगठनों को "अवैध संगम" घोषित किए जाने संबंधी व्यक्त कारणों के मद्देनजर केन्द्रीय सरकार द्वारा आधार बनाई गई सामग्री की विश्वसनीयता तथा दर्शाए गए कारणों की यथेष्टता का वास्तविक आकलन होना आवश्यक है।

17). गृह मंत्रालय में निदेशक पद पर तैनात श्री आर.आर.झा की गवाही को प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने गवाही दी कि नेशनल लिब्रेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) तथा आल त्रिपुरा टाईगर फोर्स (एटीटीएफ) दोनों संगठन शेष भारत से त्रिपुरा को अलग करने और एक नए राष्ट्र के निर्माण की मांग कर विघटनकारी प्रवृत्तियाँ फैला रहे हैं। जहाँ नेशनल लिब्रेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) अपने संस्थापना के समय से ही एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहा है वहीं ऑल त्रिपुरा टाईगर फोर्स (एटीटीएफ) की विघटनकारी प्रवृत्तियां तबसे स्पष्ट हुई हैं जबसे 1997 में स्थापित की गई उनकी राजनीतिक शाखा, त्रिपुरा पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ने हिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से 'राष्ट्रीय स्वतंत्रता' की बात कहनी प्रारम्भ की तथा भारतीय सेना/सुरक्षा बलों (एसएफएस) को " भारतीय प्रग्रहण बल" और भारतीय आजादी को अपनी 'उपनिवेशीय दासता' करार दिया है। ये दोनों संगठन न केवल हिंसात्मक आंदोलन और अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हिंसा करने में विश्वास करते हैं बल्कि ये निरंतर हिंसा, निर्दोष लोगों को मारने और जातीय अशांति भड़काने में संलिप्त हैं। नेशनल लिब्रेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) तथा आल इंडिया टाईगर फोर्स (एटीटीएफ) के अन्य ब्यौरे जैसे कि उनके लक्ष्य एवं उद्देश्य, पदाधिकारियों के नाम,अन्य पूर्वोत्तर गुटों के साथ संपर्क तथा विदेशी संपर्क आदि भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 37 थानों को आंशिक रूप से /पूर्णतः अशांत घोषित करने के बाबजूद नेशनल लिब्रेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा तथा आल इंडिया टाईगर फोर्स दोनों गुटों द्वारा हिंसा तथा लूट-खसोट किया जाना जारी है। 1993-2003 के दौरान एटीटीएफ द्वारा मारे गए व्यक्तियों की संख्या 2003 में चरम सीमा पर पहुंच गई। तथापि, पिछले कुछ समय से त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा प्रभावी विद्रोहवाद-विरोधी अभियानों के चलते एनएलएफटी तथा एटीटीएफ द्वारा की गई हिंसा की घटनाओं में कुछ कमी आई है। एनएलएफटी द्वारा मारे गए लोगों की संख्या में कमी की वजह भारत सरकार तथा त्रिपुरा सरकार के साथ 15 अप्रैल 2004 को '' अभियान निलंबन'' के लिए एक करार पर हस्ताक्षर करने तथा 17 दिसम्बर, 2004 को 'समझौता ज्ञापन' पर हस्ताक्षर करने के अनुसरण में श्री नयनबासी जमातिया के नेतृत्व में एनएलएफटी के एक गुट के 145 काडरों द्वारा आत्मसमर्पण करना भी हो सकता है। दोनों गुट गैर-आदिवासियों, विशेष रूप से बंगालियों को त्रिपुरा से निकालने का समर्थन कर रहे हैं और जब भी इन गुटों को मौका मिलता है ये उन पर प्रहार करते हैं जिससे जरा सी बात पर जातिगत दंगे/तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। उन्होंने बयान दिया है कि इन आतंकवादी गुटों के क्रियाकलापों

के कारण राज्य में अत्यधिक जनजातीय-गैर जनजातीय तनाव व्याप्त है। एनएलएफटी तथा एटीटीएफ के भूमिगत काडरों द्वारा 2004-2005(दिसम्बर 2005) में अंजाम दी गई बड़ी घटनाओं का विवरण भी शपथपत्र के साथ दिया गया है।

18). त्रिपुरा सरकार के आवासीय आयुक्त का बयान भी दर्ज किया गया है जिन्होंने कहा है कि दो उग्रवादी संगठन, एनएलएफटी तथा एएएफटी और उनके गुट त्रिपुरा राज्य में सक्रिय हैं। उनके लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट तौर पर अलगाववादी हैं और वे राज्य में हिंसक कार्यकलापों में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पहली बार 1997 में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के उपबंधों को लागू किया था। चूंकि इन दोनों संगठनों ने अपने अलगाववादी एवं हिंसक क्रियाकलाप जारी रखे हुए हैं इसलिए आज तक उन पर प्रतिबंध जारी है। इन प्रतिबंध आदेशों के ब्यौरे उनके द्वारा दिए गए थे जो इस प्रकार हैं :-

i)	दिनांक 03.04.1997 की अधिसूचना सं. का.आ. 291 (अ) एनएलएफटी	
ii)	दिनांक 03.04.1997 की अधिसूचना सं. का.आ. 292 (अ) एटीटीएफ	
iii)	दिनांक 03.04.1999 की अधिसूचना सं. का.आ. 226(अ)	दोनों
iv)	दिनांक 03.10.2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 968 (अ)	दोनों
v)	दिनांक 03.10.2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 1164 (अ)	दोनों
vi)	दिनांक 03.10.2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1446 (अ)	दोनों

19). संयुक्त आवासीय आयुक्त ने त्रिपुरा राज्य की ओर से कहा कि एनएलएफटी तथा एटीटीएफ ने अपने गुटों सहित अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य के रूप में त्रिपुरा को भारत संघ से अलग करने के प्रयास जारी रखे हुए हैं और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनके अलगाववादी, विध्वंसक, हिंसक तथा आतंकवादी क्रियाकलाप जारी हैं।

एनएलएफटी तथा एटीटीएफ के संविधान में उनके उद्देश्य के रूप में भारत संघ से अलगाव का वर्णन है। एनएलएफटी तथा एटीटीएफ के संविधान की सही प्रतियां भी, जो परिचालन में हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत की गईं। उन्होंने त्रिपुरा, जो पहले एक रजवाड़ा था, का संक्षिप्त इतिहास भी बताया जिसे अक्तूबर, 1949 में संघ राज्य में विलय कर दिया गया था। इसके विलय के बाद त्रिपुरा भारत का एक अभिन्न अंग बन गया है। तथापि, अपने अलगाववादी लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एटीटीएफ तथा एनएलएफटी तथा उनके गुटों ने अवैध रूप से एक पृथक संविधान अंगीकृत किया है जिसमें एक सिविलियन ढांचे के रूप में एक ''सैपरेट पीपुल्स रिपब्लिक गवर्नमैंट'' की व्यवस्था दी गई है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने नियमित सेना की तर्ज पर सोपानबद्ध ढांचे सहित एक पृथक सशस्त्र विंग भी बनाया हुआ है। उनके पास बड़ी संख्या में घातक हथियार हैं जिनमें घोर विनाशकारी अत्याधुनिक हथियार भी शामिल हैं। अपनी स्थापना/गठन के बाद से ही एनएलएफटी तथा एटीटीएफ अपने गुटों सहित बड़ी संख्या में विध्वंसक क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी हैं। त्रिपुरा को भारत संघ से 'स्वतंत्र' कराकर एक स्वतंत्र 'बोरोकलैंड

त्रिपुरा'' की स्थापना करने के अपने उद्घोषित लक्ष्य को प्राप्त करने के अपने उद्देश्य के साथ एनएलएफटी तथा एटीटीएफ और उनके गुट विभिन्न अलगाववादी एवं विध्वंसक क्रियाकलापों में लिप्त रहे हैं जिनका लक्ष्य देश की प्रभुसत्ता को खतरे में डालना, लोक व्यवस्था एवं राज्य के विकास को अवरुद्ध करना तथा लोगों में भय उत्पन्न करना है। इनके कार्यकलापों में पुलिस एवं अर्द्ध सैनिक बलों पर हमला, हथियार एवं गोला-बारूद लूटना, नागरिकों के खिलाफ हिंसा, अपहरण तथा लूट-खसोट शामिल हैं। उन्होंने अवैध तरीकों से शस्त्रों तथा गोलाबारूद का प्रापण करना जारी रखा हुआ है और वे इनका इस्तेमाल शांति भंग करने तथा भारत के संविधान और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को तोड़ने के लिए करते हैं। वे जनता तथा सरकारी कर्मचारियों से 'कर नोटिसों' द्वारा धन वसूल करने में भी लिप्त हैं। इन नोटिसों की प्रतियां भी त्रिपुरा राज्य द्वारा प्रस्तुत की गईं और साबित की गईं। इन गुटों की ताजा प्रवृत्तियां निम्नवत् बताई गईं :-

क) एनएलएफटी द्वारा भारत से त्रिपुरा के अलगाव की नीति को समर्थन देना जारी रखना तथा एटीटीएफ द्वारा सातों राज्यों से एक पृथक राष्ट्र का निर्माण करना।

ख) भारत की एकता और प्रभुसत्ता के लिए आहितकर क्रियाकलापों में लिप्त होना।

ग) अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन के रूप में सशस्त्र कार्रवाई द्वारा हिंसा एवं डर उत्पन्न करने का रास्ता अपनाना जारी रखना।

घ) व्यापारियों तथा सरकारी कर्मचारियों सहित जनता से बड़ी मात्रा में लूट-खसोट करना तथा अवैध कर संग्रह करना।

ङ) पूर्वोत्तर के अन्य विद्रोही गुटों से संपर्क और उन्हें सहायता देना जबकि एनएलएफटी ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड के इसाक मुइवाह गुट (एनएससीएन (आई/एम) से संपर्क विकसित किए हैं, एटीटीएफ ने यूनाइटेट लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) तथा मैतई एक्स्ट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मणिपुर के साथ संपर्क विकसित किए हैं।

च) पड़ोसी देश बंगलादेश में आश्रय-स्थलों, सुरक्षित स्थानों तथा प्रशिक्षण शिविरों को लगातार बनाए रखना।

छ) गुप्त माध्यमों द्वारा अथवा विभिन्न सुरक्षा बलों से छीनकर बड़ी संख्या में अत्याधुनिक हथियारों एवं गोला बारूद का प्रापण करना।

20). भारत सरकार तथा त्रिपुरा सरकार की ओर से यह बयान दिया गया कि इन गुटों को 'विधिविरूद्ध संगम' घोषित करना अनिवार्य है क्योंकि एनएलएफटी तथा एटीटीएफ अत्यधिक सक्रिय हैं और अलगाववादी, विध्वंसक, आतंकवादी एवं हिंसक क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए अपने काडरों को जुटा रहे हैं। एनएलएफटी तथा एटीटीएफ सतत रूप से विधिविरूद्ध कर संग्रह, लूट-खसोट तथा यहां तक कि अपहरण और फिरौती के लिए व्यपहरण द्वारा भी विपुल मात्रा में निधियां इकट्ठी कर रहे हैं। इस अधिसूचना के विस्तार में विलंब होने से ये गुट स्थिति का नाजायज फायदा उठा सकते हैं। इससे इन गुटों के नेताओं को भारत के सुरक्षा सरोकारों के प्रतिकूल विदेशी ताकतों के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों का खुलेआम प्रचार करने का मौका मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए उनके द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों को नजरबंद करना और उनपर मुकदमा चलाना कठिन हो जाएगा। विभिन्न घटनाओं के बारे में बताया गया जो इस बात का संकेत देती हैं कि एनएलएफटी तथा

एटीटीएफ को 03.10.2005 से विधिविरुद्ध संगम घोषित करने और उक्त घोषणा को तत्काल लागू करने के लिए वास्तव में ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं।

21). समुचित नोटिस के पश्चात् अधिकरण ने अपनी बैठक अगरतला में भी की। विभिन्न अधिकारियों तथा अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। 10 मार्च, 2006 को हुई अधिकरण की बैठक में सात गवाहों से पूछताछ की गई। ये गवाह निम्नलिखित हैं :-

i. श्री एस.के.डारलांग, पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, त्रिपुरा
ii. श्री जे के सिन्हा, जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिमी जिला, त्रिपुरा
iii. श्री राजेश कांबले, पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी जिला, त्रिपुरा
iv. श्री अरिंदम नाथ, पुलिस अधीक्षक, ढ़लाई जिला, त्रिपुरा
v. श्री नित्यानंद सरकार, उप निरीक्षक, बीरगंज पुलिस थाना, दक्षिणी जिला, त्रिपुरा
vi. श्री संकु सिन्हा, कुमारघाट पुलिस थाना, उत्तरी त्रिपुरा
viii. श्री अकुल चन्द्र नाथ, दासदा, उत्तरी त्रिपुरा

श्री एस.के.डारलांग, पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, त्रिपुरा ने निम्नलिखित अभिसाक्ष्य दिए:

"त्रिपुरा राज्य में एनएलएफटी (नेशनल लिब्रेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा) तथा एटीटीएफ (आल इंडिया टाईगर फोर्स) नामक दोनों संगठन अपने विभिन्न घटकों के माध्यम से विघटनकारी गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं। इन दोनों संगठनों के अपने-अपने अलग-अलग संविधान हैं। मैंने इन संविधानों की प्रतियों को देखा एवं पढ़ा है। मैंने उक्त संविधानों की प्रतियों को खरीदा है। यही वे प्रतियाँ हैं जिन्हें राज्य में व्यापक रूप से परिचालित किया गया है। इन दोनों संगठनों के संविधानों की मूल टंकित प्रतियों को अधिकरण के रिकार्ड के खण्ड-I में पृष्ठ 12-40 तथा 41-55 तक संलग्न कर दिया गया है।

मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं राज्य आसूचना रिपोर्टों के आधार पर भी ये दोनों संगठन राज्य में लूट, अपहरण तथा सुरक्षा बलों पर हमले में शामिल हैं तथा इसे जारी रखे हुए हैं। इनका काडर सुगठित है और मेरी जानकारी के अनुसार ये काले बाजार तथा बंगलादेश और म्यांमार के रास्ते सहित विदेशों से हथियार एवं गोलाबारूद प्राप्त कर रहे हैं। ये विघटनकारी गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी रखे हुए हैं। मेरी जानकारी में आई कुछ हिंसात्मक और आपराधिक गतिविधियों को अधिकरण को प्रस्तुत श्री एम.एल.डे के हलफनामे के पैराग्राफ 8 में भी दर्शाया गया है। पिछले

छः महीनों में इन संगठनों की ऐसी विघटनकारी गतिविधियों की कई घटनाओं से भी मै अवगत हूँ।

मैं जानता हूँ कि फरवरी, 2003 के विधानसभा चुनावों के दौरान लोगों से भाग न लेने की बहिष्कार अपील एटीटीएफ तथा एनएलएफटी द्वारा की गई थी। ये राष्ट्रीय महत्ता के किसी भी आयोजन का बहिष्कार करने की अपील करते हैं। स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस समारोहों सहित राष्ट्रीय महत्ता के आयोजन को बहिष्कार करने हेतु इनकी अपील आज तक निर्बाध रूप से जारी है। इन्होंने 27 फरवरी और 3 मार्च, 2006 को होने वाले स्थानीय चुनावों का बहिष्कार करने की अपील की। जब भी बहिष्कार हेतु ऐसी अपील की जाती है हम इसकी सूचना सुरक्षा बलों को अग्रसारित कर देते हैं तथा शांन्तिपूर्ण मतदान के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की जाती है जिससे लोगों में विश्वास की भावना जागे ताकि वे चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकें। श्री एम.एल.डे के हलफनामे के पैराग्राफ 14 में सारणीबद्ध तरीके से दी गई जानकारी मेरे द्वारा उपलब्ध विभागीय रिकार्डों के आधार पर दी गई है तथा ये सत्य हैं। उक्त को ही मैंने आज प्रस्तुत किया है। विभिन्न अपराधों की घटनाओं के प्रकार जिसे पैरा 14 में दर्शाया गया है वे 30.11.2005 के बाद भी उसी स्तर पर जारी हैं।

मुझे जनवरी, 2006 की वह घटना भी अच्छी तरह से स्मरण है जब इन दोनों संगठनों के सदस्यों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां दागीं जिसमें एक सुरक्षा कर्मी बुरी तरह से घायल हो गया और तीन नागरिकों की मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। इस तरह की कई अन्य घटनाएं तथा इन दोनों संगठनों की गतिविधियाँ आज तक निर्बाध रूप से जारी हैं।

श्री राजेश कांबले, पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी जिला, त्रिपुरा ने भी अधिकरण के समक्ष साक्ष्य दिए एवं कहा :-

" मैं उन सभी प्रथम सूचना रिपोर्टों को लाया हूँ जो ढलाई, उत्तरी त्रिपुरा, दक्षिणी त्रिपुरा तथा पश्चिमी त्रिपुरा के विभिन्न जिलों में हुई विभिन्न घटनाओं से संबंधित हैं। मैंने उन टंकित प्रतियों को उनकी मूल प्रतियों से मिलान किया है तथा वे सत्य एवं सही हैं। प्रथम सूचना रिपोर्टें विभिन्न घटनाओं के संदर्भ में दर्ज की गईं तथा विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों से दर्ज करवाई गईं। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्टों की सत्यापित टंकित प्रतियां सम्मिलित रूप से साक्ष्य 7 के रूप में प्रदर्शित की गई हैं।

मुझे उन प्रथम सूचना रिपोर्टों की जानकारी है जो विभिन्न स्थानों पर दर्ज की गई

थीं। मुझे विभिन्न घटनाओं में मारे गए विभिन्न व्यक्तियों के बारे में जानकारी है। मारे गए कुछ व्यक्तियों का विवरण जिनके अनुसरण में विभिन्न प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज की गई हैं, उनको विस्तारपूर्वक श्री एम.एल.डे के हलफनामे के भाग-II के पृष्ठ सं. 332-344 में दर्शाया गया है। इन जानकारियों को राज्य के पास उपलब्ध विभागीय रिकार्डों के आधार संकलित किया गया है। मैंने इनका मिलान किया है तथा मैं यह कहता हूँ कि ये सभी सत्य एवं सही हैं। यह सूची साक्ष्य 8 के रूप में चिह्नित है।

22). श्री संकु सिन्हा और श्री अकुल चन्द्र नाथ, ये दो गवाह अधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए तथा अभिसाक्ष्य दिया कि उन्हें इन अवैध संगठनों के सदस्यों ने अगवा कर लिया था। श्री संकु सिन्हा द्वारा दी गई गवाही का प्रासंगिक भाग निम्नलिखित है :

" उन व्यक्तियों, जिन्होंने मुझे अपहृत किया, ने मुझे बताया कि वे एनएलएफटी के सदस्य हैं। मेरे अपहरणकर्ताओं ने मुझे उनके साथ शामिल होने के लिए दबाब डाला तथा वे कह रहे थे कि भारतीय संघ से त्रिपुरा को आजाद कर त्रिपुरा में स्वतंत्र बोरोकलैंड का गठन होगा। मुझे एक शिविर में 1 महीने और 14 दिन तक रखा गया तथा उनके पास सेना के समान तंत्र हैं तथा उनके आदमीं अधिक हथियारों से लैस है और उनकी अपनी कमान है तथा ये उनका पूर्णकालिक पेशा है। मेरे भाई को मेरी रिहाई के लिए 1.60 लाख रु. देने पड़े। मेरे बन्धक होने के दौरान मुझे रिहाई की राशि नहीं बताई गई लेकिन मुझे इसकी जानकारी रिहाई के पश्चात् ही हुई। मेरा भाई एक पंचायत प्रमुख है। इस राशि को जमा करने के लिए , मेरे भाई को हमारे घर का सामान और पशु बेचने पड़े। मैं एक कृषक हूँ।

अन्य व्यक्ति जिसने यह बताया कि वह इन संगठनों के सदस्यों द्वारा अगवा किया गया था वह श्री अकुल चन्द्र नाथ है जिसने अपने अपहरण की घटना का विस्तृत ब्यौरा दिया है जो निम्नलिखित है :

" मुझे एनएलएफटी के सदस्य होने का दावा कर रहे व्यक्तियों ने जनवरी, 2004 में अगवा कर लिया था। मै जानता हूँ कि वे लोग एनएलएफटी के हैं क्योंकि उन्होंने खुद ही यह बात मेरे बन्धक होने के दौरान कही। मुझे दो महीने तक बन्धक रखा गया। जिन व्यक्तियों ने मुझे अगवा किया वे 8 की संख्या में थे। मेरे परिवार ने जमीन बेचकर 60,000/- रु0 इकट्ठे किए। इसको एनएलएफटी के बारनजाय रियांग नाम के व्यक्ति की अगुवाई वाले दल को दिया गया। जब मैं उनके द्वारा बंधक था तो वे

खुलेआम कहते थे कि त्रिपुरा राज्य को स्वतंत्र कराना है। उनमें से काफी के पास ए के-47, एसएलआर कार्बाइन थे। मुझे उन हथियारों के किस्म की जानकारी है क्योंकि मुझे इस बारे में उनके द्वारा बताया गया था और मुझे इन हथियारों की पहचान है। मुझे पहाड़ों पर और जंगलों में रखा गया, वास्तविक स्थल के बारे में मैं नहीं जानता लेकिन वहाँ उनके शिविर अवश्य थे। मुझे बताया गया कि उन्होंने मुझे बंगलादेश में स्थित एक शिविर में बन्धक रखा है। मेरी जानकारी में ऐसी अपहरण की घटनाएं अभी भी उस क्षेत्र में जारी हैं जहाँ मैं रहता हूँ। अन्य व्यक्ति जिसे अपहत किया गया उसका नाम अनुकूल दास है। हराधन दास अन्य व्यक्ति है जिसे अपहत किया गया। इस तरह की अपहरण की घटनाएं उस क्षेत्र में आम हैं जहाँ मै रहता हूँ। एनएलएफटी के सदस्य होने का दावा करने वाले व्यक्ति इन क्षेत्रों का दौरा करते हैं जहाँ मैं रहता हूँ तथा कर की मांग एवं संग्रहण करते हैं। हालांकि इसकी शिकायत पुलिस से की जाती है तथा पुलिस कार्रवाई करती है, इसके बावजूद ये सारी गतिविधियाँ जारीं हैं।"

23). अधिकरण तथा इसकी अगरतला में बैठक के बारे में किए गए प्रचार और नोटिस के बावजूद एनएलएफटी और एएटीएफ की तरह से कोई आवेदन, उत्तर या कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई जो सरकार द्वारा इन संगठनों को अवैध घोषित करने संबंधी दलीलों को खण्डित कर सके। पूछताछ किए गए गवाहों के साक्ष्यों को खण्डित एवं झुठलाया नहीं गया है। प्रस्तुत एवं सत्यापित किए गए बड़ी मात्रा में दस्तावेजों और गवाहों द्वारा दिए गए बयानों से यह निष्कर्ष तर्कसंगत प्रतीत होता है कि दोनों संगठन त्रिपुरा में बहुत सारे स्थानों पर विद्रोही एवं विघटनकारी गतिविधियों में संलिप्त हैं। वे बंगलादेश सीमापार से अपनी गतिविधियाँ चला रहे हैं इसलिए पुलिस और अन्य बलों को उनकी गतिविधियों को पूर्ण रूप से और आसानी से रोकने में कठिनाई आ रही है। इन संगठनों की कार्यविधि ऐसी प्रतीत होती है कि लोगों को हथियारों द्वारा आतंकित किया जाए और खास समुदायों को त्रिपुरा के विशेष क्षेत्रों को छोड़ने के लिए धमकाया जाए। प्रस्तुत किए गए पर्याप्त सबूतों के आलोक में यह विश्वास उचित जान पड़ता है कि ये संगठन और इसके सदस्य हत्या और फिरौती के लिए निर्दोष लोगों और सरकारी कर्मचारियों के अपहरण में शामिल हैं जिसके कारण विकासात्मक गतिविधियाँ बाधित हैं। उक्त प्रतिबंधित संगठनों के संविधानों को भी गवाहों द्वारा प्रस्तुत एवं सिद्ध किया गया है। एनएफएलटी और एएएफटी के संविधानों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के सात राज्यों यथा त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय ओर अरूणाचल प्रदेश को मिलाकर एक नये राष्ट्र का निर्माण करना है तथा इस उद्देश्य के लिए ये संगठन सभी तरह के आंदोलनों को सहायता देने और अपने स्वयं के बलों का इस्तेमाल करने की मंशा रखते हैं। इस साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जिसका खंडन नहीं किया गया है और जिस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता, इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा का मुख्य उद्देश्य त्विप्रा की वोर्क सभ्यता की एक भिन्न और स्वतंत्र पहचान रखने; 'बोरोकलैंड त्विप्रा' को पूर्णरूप से मुक्त कराने और

कथित पीपुल्स रिपब्लिक को रूपांतरित करने के विचार से सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से जनतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार को त्रिपुरा से उखाड़ फेंकना है। अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना तथा भारत की कथित पूँजीवादी सरकार को उखाड़ने के उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से उनके संविधान में यह प्रावधान है कि इसका अपना स्वतंत्र ध्वज, संप्रतीक, संविधान और अपनी राजभाषा होगी। यहाँ तक कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उनके अपने संविधान की सहायता से इसके लिए गहन प्रयास किया जा सकता है। राजस्व और कर के नाम पर पंचायत कर्मियों और लोगों से धन ऐंठने के संबंध में नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा द्वारा जारी रसीदों को भी सरकार ने रिकॉर्ड में रखा है।

24). साक्षियों के बयानों, शपथपत्रों को जमा कराने तथा नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के संविधान, चंदे के नोटिसों और धन ऐंठने की रसीदों सहित रिकॉर्ड में रखे गए प्रमाणित दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स दोनों के पृथकतावादी उद्देश्य बोरोकलैंड त्रिपुरा की एक स्वतंत्र पहचान स्थापित करने के साथ-साथ सात पूर्वोत्तर राज्यों को मिलाते हुए एक पृथक देश की स्थापना करना है। विद्वान काउंसिल अनेक हिंसक घटनाओं के लिए दर्ज की गई विभिन्न प्रथम सूचना रिपोर्टों (एफआईआर) के ब्यौरे दिखा चुके हैं। एक अत्यंत भिन्न और संगठित तरीका स्पष्ट करने योग्य है। इन संगठनों के अभियान-क्षेत्र में मुख्य रूप से पश्चिम त्रिपुरा, ढलाई, उत्तर और दक्षिण त्रिपुरा शामिल हैं। प्रस्तुत साक्ष्य से यह अनुमान लगाना उपयुक्त है कि इन एसोसिएशनों के पास गैरकानूनी स्रोतों से प्राप्त किए गए संवेदनशील आग्नेयास्त्र, हैं और वे भारत से पृथकता की नीति का लगातार अनुसरण कर रहे हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत की सम्प्रभुता और अखण्डता के प्रति पक्षपातपूर्ण क्रियाकलापों और सशस्त्र कार्रवाई के जरिए हिंसा और आतंक फैलाने में लगे हुए हैं। वे व्यवसायियों, व्यापारियों और यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों सहित जनता से धन ऐंठने और गैरकानूनी कर की वसूली करने में लगे हैं और उनके अन्य पूर्वोत्तर के विद्रोहियों के साथ संबंध हैं और उन्हें उनका समर्थन प्राप्त है। वे निरंतर गुप्त आश्रय-स्थल, सुरक्षित आश्रय-स्थल और पड़ोसी बंगलादेश में प्रशिक्षण शिविर बनाए हुए हैं और गुप्त माध्यमों से या विभिन्न सुरक्षा बलों से छीन कर भारी मात्रा में संवेदनशील हथियार प्राप्त कर रहे हैं। अनेक घटनाओं का उल्लेख किया गया है और उनकी एफ आई आर दिखाई गई है तथा अन्य संबंधित तथ्य सिद्ध किए गए हैं। ये तथ्य और परिस्थितियां पर्याप्त हैं जो दर्शाते हैं कि ये संगठन नागरिकों और सशस्त्र जवानों को मारने में लगे हैं तथा लूटपाट और अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं और अराजकता का वातावरण बना रहे हैं। इन परिस्थितियों से स्पष्ट है कि उक्त दोनों संगठन नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स नागरिकों, सेना और पुलिस के जवानों को मारने, गुपचुप तरीकों से अथवा विभिन्न सुरक्षा बलों से छीनकर संवेदनशील हथियार और गोला-बारूद प्राप्त करने के लिए त्रिपुरा में जनता और व्यापारियों से धन ऐंठने की गतिविधियों में संलिप्त हैं। इन संगठनों का पूर्वोत्तर के अन्य पृथकतावादी गुटों के साथ संबंध है और उन्हें उनका समर्थन प्राप्त है। रिकार्ड की सामग्री से भी यह प्रमाणित है कि ये संगठन त्रिपुरा राज्य में जबरन वसूली, लूटपाट और

अराजकता का वातावरण बनाने की गतिविधियों में लगे हुए हैं। उनकी इन हरकतों का उद्देश्य भारत की सम्प्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को नष्ट करना है और यदि उन पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो न केवल गैरकानूनी कार्यकलाप बढ़ेंगे बल्कि राज्य में भारत से अलगाव का वातावरण भी बन सकता है। ये संगठन संघ से भारत के क्षेत्र के भाग को अलग करने की वकालत कर रहे हैं और इस दिशा में काम कर रहे हैं और देश से अलगाव के संबंध में लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में अपरिहार्य निष्कर्ष है कि उनकी हरकतों से देश की सम्प्रभुता और अखण्डता को वास्तविक खतरा है।

25). सरकार " एनएलएफटी" और "एटीटीएफ"पर प्रतिबंध को जारी रखने ओर उन्हें को 03 अक्तूबर, 2005 से दो वर्षों की अवधि के लिए विधिविरुद्ध संगम घोषित करने वाली अधिसूचना को विस्तारित करने के लिए निम्नलिखित कारणों पर निर्भर थी :-

i. एनएलएफटी द्वारा भारत से त्रिपुरा के पृथक्करण की नीति तथा एटीटीएफ द्वारा सात राज्यों के एक पृथक राष्ट्र की स्थापना की नीति का निरंतर समर्थन;

ii. भारत की सम्प्रभुता और अखंडता के प्रति पूर्वाग्रहग्रस्त कार्यकलापों में निरंतर संलिप्तता;

iii. अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधनों के रूप में सशस्त्र कार्रवाइयों के जरिए हिंसा और आतंक को निरंतर अपनाना ;

iv. व्यवसायियों, व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों सहित जनता से उच्च स्तरों पर धन ऐंठना और गैर कानूनी ढंग से कर वसूली;

v. पूर्वोत्तर के अन्य विद्राही गुटों से संबंध और समर्थन। यद्यपि, एनएलएफटी ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (एनएससीएन/(आई/एम) के इसाक-मुइवाह गुट से अपने सम्पर्क विकसित कर लिए हैं किंतु एटीटीएफ ने यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) और मिजोरम के मैतई उग्रवादी संगठनों से अपने सम्पर्क विकसित किए हैं ;

vi पड़ौसी देश बंगलादेश में गुप्त आश्रय-स्थलों, सुरक्षित स्थानों और प्रशिक्षण शिविरों को लगातार बनाए रखा है;

vii गुप्त तरीकों अथवा विभिन्न सुरक्षा बलों से छीनते हुए संवेदनशील हथियारों और गोला-बारूदों का भारी मात्रा में प्रापण करना।

27). रिकार्ड में प्रस्तुत और प्रमाणित अत्याधक सामग्री से सरकार द्वारा इन कारणों की पुष्टि की गई है। इन संगठनों-एनएलएफटी और एटीटीएफ की ये गतिविधियां स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 2 (च) के अर्थ में विधिविरुद्ध गतिविधियां हैं अतः इन संगठनों द्वारा जारी रखी जाने वाली ये गतिविधियां

निःसंदेह अधिनियम की धारा 2 (छ) के अर्थ में इन संगठनों को विधिविरुद्ध संगम ठहराती हैं। अतः केन्द्र सरकार का उक्त एनएलएफटी और एटीटीएफ को विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित करना न्यायोचित है। इस अधिकरण को ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि इस घोषणा की पुष्टि न करे।

28). पूर्वोक्त कारणों से मैं संतुष्ट हूँ कि नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स को विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित करने का पर्याप्त कारण विद्यमान है। तदनुसार, यह अधिकरण केन्द्र सरकार द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप धारा (1) के अन्तर्गत दिनांक 03 अक्तूबर, 2005 को जारी की गई अधिसूचना सं. 1446 (अ) द्वारा की गई घोषणा की पुष्टि करता है।

अतः इस निदेश का सकारात्मक उत्तर दिया जाता है।

नई दिल्ली
31 मार्च, 2006

ह./-
(अनिल कुमार जे.)
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण)
अधिकरण

[फा. सं. 11011/47/2005-एनई . III]
राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2006

S.O. 552(E).—In terms of Section 4(4) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the order of the Tribunal presided over by Hon'ble Justice Shri Anil Kumar, Delhi High Court, to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the associations, namely the National Liberation Front of Tripura (NLFT) and the All Tripura Tiger Force (ATTF) Organizations of Tripura as unlawful, is published for general information.

31.03.2006

Present: Mr.Rajeeve Mehra and Mr.Shailendra Sharma, Advocates for the Union of India.

Mr.Gopal Singh and Mr.Ritu Raj Biswas, Advocates for the State of Tripura.

By a separate order of today's date, the reference has been answered in the affirmative.

BEFORE THE TRIBUNAL UNDER THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967

(HON'BLE MR.JUSTICE ANIL KUMAR)

IN THE MATTER OF ASSOCIATIONS, NAMELY, 'NATIONAL LIBERATION FRONT OF TRIPURA' AND 'ALL TRIPURA TIGER FORCE'

AND

IN THE MATTER OF REFERENCE UNDER SECTION 4(1) OF THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967

ORDER

1). The Central Government in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) [hereinafter to be referred to as the 'Act'], declared the 'National Liberation Front of Tripura' and 'All Tripura Tiger Force' (for short 'NLFT' and 'ATTF') as unlawful associations vide Gazette Notification No.S.O.1446(E) dated 3rd October, 2005. Relying on the circumstances mentioned in the said notification an opinion was formed that it was necessary to declare the 'NLFT' and 'ATTF' as unlawful associations with immediate effect.

2). Accordingly in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-Section (3) of Section 3 of the Act, the Central Government directed that the said Notification shall, subject to any order that may be made under Section 4 of the said Act, will have the effect from the date of its publication in the Official Gazette. The said Gazette Notification No.S.O.1446(E) dated 3rd October, 2005 reads as under :-

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi, the 3rd October, 2005

S.O. 1446(E) – Whereas the National Liberation Front of Tripura and the various wings thereof, (hereinafter referred to as the NLFT) has as its professed aim, to establish an independent "Borokland Twipra" by secession of Tripura and incite indigenous people of Tripura, for secession and thereby the secession of Tripura from India;

And whereas, the All Tripura Tiger Force (hereinafter referred to as the ATTF) has as its professed aim, the formation of a separate nation of seven sisters comprising Tripura, Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland, Meghlaya and Arunchal Pradesh resulting in bringing about the secession of he said States from India, in alliance with other armed secessionist organisations of the North East region and to carry on armed struggle for separation of these States from India and thereby secession of these States from India;

And whereas, the Central Government is of the opinion that the NLFT and the ATTF have,

(i) been engaging in subversive and violent activities, thereby undermining the authority of the Government and spreading terror and violence among the people for achieving its objectives;

(ii) established linkages with other unlawful associations, viz., the United Liberation Front of Assam (ULFA) and Meitei Extremist outfits of Manipur with the aim of mobilizing their support;

(iii) in pursuance of its aims and objectives in the recent past, engaged in several violent and unlawful activities which are prejudicial to the sovereignty and integrity of India;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that there violent and unlawful activities include:-

(a) killing of civilians and personnel belonging to the Police and Security Forces;

(b) extortion of funds from the public including businessmen and traders in Tripura;

(c) procuring large number of arms and ammunitions, including sophisticated ones, through clandestine or

illegal channels and inducting them secretly into Tripura through a neighbouring country;

(d) establishing and maintaining camps in neighbouring countries for the purpose of safe sanctuary, training, procurement of arms and ammunitions etc.

(e) establishing and maintaining linkages with other Tripura tribal extremist groups for causing and fomenting communal clashes between the Tribal and non-tribal communities in Tripura;

And whereas, the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the NLFT and the ATTF are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that they are unlawful associations;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the National Liberation Front of Tripura (NLFT) along with all its factions, wings and front organisations and the All Tripura Tiger Force (ATTF) along with all its factions, wings and front organisations to be as unlawful associations;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that if there is no immediate curb and control of the NLFT and ATTF, will take the opportunity to:-

(i) mobilize their cadres for escalating their secessionist, subversive, terrorist and violent activities;

(ii) propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;

(iii) indulge in increased killings of civilians and targeting of the Police and Security Forces personnel;

(iv) procure and induct more illegal arms and ammunitions from across the international border;

(v) extort and collect huge funds from the public for their unlawful activities;

And whereas, the Central Government, having regard to the above circumstances, is of the opinion that it is necessary to declare the

NLFT and the ATTF as unlawful associations with immediate effect; and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3, of the said Act, the Central Government hereby directs

that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No. 11011/47/2005-NE. III]
H. S. BRAHMA, Jt. Secy.

3). The Central Government in exercise of its powers conferred by sub-Section (1) of Section 5 of the Act by a subsequent Notification No.S.O.1548(E) dated 29th October, 2005, constituted "The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" (hereinafter to be referred to as the 'Tribunal'), with the undersigned for the purpose of adjudicating ***"Whether or not there is sufficient cause for declaring the 'NLFT' and 'ATTF' as unlawful associations"***. The said Notification No.S.O.1548(E) dated 29th October, 2005 reads as under :-

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2005

S.O.1548(E).- In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes "The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Shri Justice Anil Kumar, Judge of Delhi High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause of declaring the National Liberation Front of Tripura and All Tripura Tiger Force, as unlawful associations.

[F.No.11011/47/2005-N.E.III]
RAJIV AGARWAL, Jt.Secy. (N.E.)

4). A Reference under Section 4(1) of the Act was received from the Central Government vide a communication No.11011/47/2005-NE.III dated 31st October,

2005, along with a brief resume disclosing the aims/objectives and violent activities of 'NLFT' and 'ATTF'. The resume details out the following facts and averments:-

1. Tripura is facing insurgency for the last 20 years. Though around 20 armed tribal groups have been identified on ground, only National Liberation Front of Tripura and All Tripura Tiger Force are responsible for majority of killings have some ideological mooring with main activities remaining confined to murders, looting, extortions, abductions, etc. for monitory gains. The violence is mostly targeted against non-tribals.

2. Both the Nation Liberation Front of Tripura (NLFT) and the All Tripura Tiger Force (ATTF) had been spreading secessionist tendencies by demanding separation of Tripura from rest of India and creation of a separate country. While NLFT has been demanding a separate country since its inception, the secessionist tendencies of ATTF have become more clear with its political wing Tripura People's Democratic Front (TPDF), formed in 1997, talking of 'National Freedom' through an armed movement and terming Indian Army/Security Forces (Sfs) as 'Indian Occupation Forces' and India's Independence as their 'colonial bondage'. The ATTF has also been protesting against merger of Tripura with India. Both the outfits not only believe in armed revolution and violence as a means to achieve their goal of over-throwing the democratically elected and legally constituted governments, but also have been indulging in frequent violence, killing innocent people and causing ethnic disturbances. Both the outfits have also been boycotting celebrations of National Days.

3. The violence and extortions by both the NLFT and the ATTF have been continuing despite declaration of 28 police stations in the State as fully disturbed and 6 police stations as partially disturbed. The

violence activities of both NLFT and ATTF are still continuing. Both the outfits have been advocating ouster of non-tribals, particularly Bengalis, from Tripura and attacking them whenever the outfits get an opportunity, giving rise to frequent ethnic clashes/tensions on the slightest provocation. Very strong undercurrent of tribal – non-tribal tension continues in the State due to the activities of these terrorist outfits.

4. The violence profile of ATTF and NLFT is given below:

Year	***NUMBER OF PERSONS KILLED (SF/POLICE) BY***		
	ATTF	NLFT	Abduction
1999	42(7)	154(33)	
2000	23(4)	216(11)	484
2001	47(9)	172(26)	168
2002	48(1)	114(40)	140
2003	106(23)	109(14)	174
2004	48(15)	57(31)	57
2005 (up to October 15)	5(3)	21(03)	45

5. The ATTF, which was formed in mid 1993, has a membership of around 350 hardcore-armed cadres and is led by Ranjit Debbarma. It is active in whole of Dhalai district, Khowai, Kalyanpurt, Teliamura, Jirania, Takarjala and Sidhai PS areas of West Tripura District, Kailashahar, Fatikroy and kanchanpur PS area of North Tripura district and Birganj, R.K. Pur, Taidu & Ompi PS areas of South Tripura district. The NLFT, formed in 1989 and led by Biswa Mohan Debbarma, has an estimated cadre strength of 600 and arms holding of 350. It is known to have areas of influence in the whole of Dhalai District, Kalyanpur and Takarjala PS area of West Tripura district,

Kanchanpur and Vaghman PS areas of North Tripura district and Birganj, Taidu, Nutan Bazar, Shantir Bazaar & Ompi PS areas of South Tripura district. The declaration of 19 police stations in Tripura as 'disturbed area' in February 1997 and more areas subsequently has not in any way affected the activities of the NLFT. Rather, the outfit has been able to further strengthen its hold in different areas and emerge as the major terrorist group in Tripura.

6. Both the ATTF and the NLFT have training camps and hid outs in Bangladesh and have been using the Bangladesh territory frequently for taking shelter after indulging in major incidents of violence. Most of these incidents have been planned in and executed from Bangladesh soil. They have acquired a sizeable number of sophisticated weapons and are known to be maintaining close links with other North Eastern insurgent groups. Recent reports indicate a growing nexus between the NLFT and NSCN (IM) on the one hand and the ATTF and ULFA on the other, in their operations in Tripura.

7. These tribal extremists/armed miscreants have shown little hesitation in attacking Police/Security Forces and innocent non-tribals (particularly Bengalis) with a view to forcing them to leave Tripura. Most of the victims of the terrorists are non-tribals, particularly Bengalis. This has caused wide schism between the tribals and non-tribals in the State of Tripura leading to volatile ethnic situation, which gives rise to ethnic clashes on the slightest provocation.

8. The NLFT and the ATTF were previously declared as 'unlawful associations' under the 'Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967' with effect from 3rd October, 2003. The Unlawful Activities (Prevention) tribunal was presided over by Justice Shri R.C. Jain had confirmed the extension of banning of the NLFT and ATTF vide order dated 24.3.2004. The declaration has been extended from 3rd October, 2005 for a further period of 2 years.

9. Notwithstanding the fact that both the NLFT and the ATTF have

continued to be banned for a period of eight years now, tribal insurgency remains the most serious security concern in Tripura. Both the NLFT and the ATTF continue to resort to massive mobilization of funds by unlawful tax collections, extortion and even kidnapping and abduction for ransom. Procurement of arms by the NLFT and the ATTF has also been continuing. The following factors, therefore, have been taken into consideration before deciding on further extension of the ban:

i. both the NLFT and the ATTF continue to have self-styled constitutions which specifically speak of secession of Tripura from India by demanding separate State of tribal land as their ultimate objective;

ii. the NLFT and the ATTF have been responsible for a large number of violent incidents, looting of arms and ammunition from the Army and Police personnel in which a large number of Army, Police personnel and civilians have lost their lives;

iii. apart from this, both the NLFT and the ATTF continue to resort to extortions and illegal tax collections for the procurement of arms and ammunition as also for maintaining its leaders and cadres;

iv. both the ATTF and the NLFT have established links with other North Easten extremist groups. The NLFT has reportedly developed close links with the Isak-Muivah faction of the National Socialist Council of Nagaland [NSCN (I/M)]. The ATTF, on the other hand, has links with the United Liberation Front of Assam (ULFA) and also with the Meitei extremists groups of Manipur;

v. both the ATTF and the NLFT have training camps and hide outs in Bangladesh and have been using the Bangladesh territory frequently for taking shelter after indulging in major incidents of violence. Most of these incidents have been planned in and executed from Bangladesh soil;

vi. both the NLFT and the ATTF continue to procure illegal arms and ammunition. These are either being purchased from illegal arms merchants abroad and smuggled into the country or are

being snatched from various security forces.

10. The Government of Tripura, Ministry of Defence, Army Headquarters, Intelligence Bureau (IB), Cabinet Secretariate (R&AW), Central Reserve Police Force (CRPF) and Border Security Force (BSF) have recommended the extension of the ban on the NLFT and ATTF for a further period of 2 years beyond 2nd October 2005.

11. In brief, the following reasons are listed in support of further declaration of both the NLFT and the ATTF as 'unlawful associations' under the 'Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967' with effect from 3rd October, 2005".

i. Continued espousal of the policy of secession of Tripura from India by the NLFT and formation of a separate nation of seven sisters by the ATTF.

ii. Continued engagement in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India.

iii. Continued adoption of violence and terror through armed action as a means for achieving their objective.

iv. high levels of extortions and illegal tax collections from the public including businessmen, traders and even Government employees.

v. links and support to other North-Eastern insurgent groups. While the NLFT has developed links with the Isak-Muivah faction of the National Socialist Council of Nagaland [NSCN (I/M)], the ATTF has developed links with the United Liberation Front of Assam (ULFA) and the Meitei extremist groups of Manipur.

vi. continued maintenance of sanctuaries, safe havens and training camps in neighbouring Bangladesh.

vii. procurement of large number of sofisticated arms and ammunition through clandestine channels or by snatching from various security forces.

12. In view of the above, further declaration of both the National Liberation Front of Tripura (NLFT) and the All Tripura Tiger Force (ATTF)

as 'unlawful associations' under section 3(1) read with proviso to section 3(3) of the 'Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967' was considered necessary after the expiry of the validity of the previous notification on October 3, 2005. This is likely to discourage them from openly propagating their negative aims and activities and seeking suport of the public. It would also prevent their sympathizers from harbouring and assisting the ATTF and the NLFT. Accordingly, the NLFT and the ATTF have been declared as unlawful associations w.e.f. 3.10.2005 under Sub Section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and the declaration has been given immediate effect from the date of publication of the Notification in the official Gazette under Sub Section (3) of Section 3 of the said Act. A copy of the Notification SO. 1446(E) dated 3.10.2005 issued in this regard is enclosed.

5) A registrar of the Tribunal constituted under the Unlawful Activities (Prevention) Act,1967 was also appointed who placed the documents before the Tribunal in its first sitting on 9th November,2005. First hearing of the Tribunal was held on 9th November, 2005. Central Government and State of Tripura were represented by counsels, however, no one had appeared on behalf of 'NLFT' & 'ATTF'.

6) Pursuant to the notification and reference, the Tribunal directed issuance of separate notices under Section 4(2) of the Act to the 'NLFT' and 'ATTF' to show cause within 30 days from the date of service/publication of the notices as to why the said Associations be not declared unlawful and why the order should not be made confirming the declarations under sub-Section (1) of Section 3 of the Act. The notices were directed to be served in the following manner.

i. Copies of the notices be affixed at conspicuous portions of the

offices, if any, of the above Associations and notices be effected and pasted at public places in the territories of these Associations;

ii. By proclaiming by beat of drums or by means of loudspeakers, the contents of the notice and Notification of the constitution of the Tribunal, in the area in which the activities of the Associations are ordinarily carried out;

iii. By publication of the notices in the newspapers published in Tripura as well as in electronic and other print media in the territories of these Associations.

7). It was further directed that the service of the notices be effected through all the above modes within thirty days and compliance in regard to service of notices be reported to the Registrar of the Tribunal by the competent officers of the State/Central Government by filing their affidavits before 10th January, 2006. The Central Government and the State Government of Tripura were also called upon to file before 10th January, 2006 the affidavits of their witnesses and documents on which reliance was placed by them in support of the pleas and grounds on the strength of which the above referred Associations had been declared unlawful.

8). Consequently, affidavits of Mr.R.R. Jha, Director, Ministry of Home Affairs, Government of India was filed who deposed about the various steps taken about the notification and proposed adjudication by the Tribunal. The deponent detailed the steps taken by the Government of Tripura for effecting the service upon NLFT and ATTF. It was disclosed that the Director General of Police was directed to take action for service by affixing copies of the Notice at conspicuous part of the offices of these associations, if any. The Director General of Police of Tripura reported that neither

NLFT nor ATTF maintain any offices at Tripura. On the basis of available intelligence and interrogation of arrested and surrendered terrorists of these organizations and associations, it was stated that these Militants outfits are maintaining their camps in Bangladesh in a clandestine manner. As these organization do not have offices in India, the notices could not be served upon these organizations by affixing copies of the notices at conspicuous part of the offices of these unlawful associations. However, the District Magistrates confirmed that vide publicity was made proclaiming the contents of the notices of this Tribunal by Beat of Drum and/or by means of loudspeakers in the areas in which the activities of these associations are ordinarily carried out. Copy of the letter dated 02.12.2005 of the Government of Tripura in this regard was produced. It was also stated that the show cause notices of this Tribunal were published in a local vernacular newspaper "*Dainik Sambad*". The notices were also published in two National Dailies namely "*Jansatta*"(Hindi) on 20.11.2005 and "*The Telegraph*" (English) on 19.11.2005. Copies of the Press Clippings containing the Notices were also produced and deposition was made about them. The Government of Tripura vide the letter dated 30.11.2005 also confirmed that the notice of this Tribunal were given vide publicity by broadcasting and telecasting through local stations of All India Radio, Agartala, on 29.11.2005 and 30.11.2005 and through Doordarshan, Agartala, in news bulletin on 27.11.2005. Copy of the letter dated 30.11.2005 of the Government of Tripura regarding publicity through Radio and Television has also been produced.

9). Issuance and publication of notices was also confirmed by Resident Commissioner, Government of Tripura who also filed an affidavit and deposed that the notices were issued/published in the name of the Associations in accordance with the specified modes and copies of citations and other communications have also been

filed in support thereof. Registrar and another official of the Tribunal also visited State of Tripura to ascertain about the notices issued by the Tribunal. These officials visited Hezanara Block, sub division Sader in West District of Tripura on 30th November,2005 and found notices issued, pasted at prominent places in BDOs offices and in market places. These officials also visited Khowai sub division of West Tripura District and Ambassa, sub division of Dhalai District on 1st December,2005 and found notices pasted in market and other prominent places. On 2nd December,2005 these officials visited North Tripura District and on 3rd December,2005 they visited South Tripura District and found notices pasted and displayed at prominent places and in the markets. About the constitution of Tribunal and show cause notice, issued publicity by beat of drums and by loud speakers was also ascertained by these officials from the people from the areas where the activities of NFLT and AFFT are ordinarily carried out. The Registrar of the Tribunal also witnessed the publicity done by loud speaker in Khowai sub division of West Tripura and Ambassa sub division of Dhalai district in Bengali and local language spoken by Tripura tribal people in concerned areas.

10). Despite large publicity about the Tribunal and its sitting given by various modes, no one appeared and opposed the notification issued by the Government. Neither of the two Associations 'NLFT' and 'ATTF' have shown any cause as to why the said Associations be not declared unlawful. These Associations have also gone unrepresented before the Tribunal. No one appeared on any of the hearings of the Tribunal. Hearing of the Tribunal was also held at Agartala and some of the witnesses of State Government of Tripura were examined at Agartala, however, no one appeared on behalf of these association and no one has opposed the notification of the Government or adduced any pleas or facts which can be considered while considering the notification of the Government of India declaring the "ATTF' and 'NLTF' as unlawful associations.

11). No opposition on behalf of these associations who are to be declared as unlawful, in itself does not make them liable to be declared unlawful and confirmation of notification of Central Government bearing no. 1446(E) dated 3rd October,2005 without considering the pleas and grounds taken by Government. 'Unlawful activity' and 'Unlawful association' have been defined under section 2(f) and (g) under Unlawful Activities (Prevention) Act,1967 which are as under:

The Unlawful Activities (Prevention) Act,1967

2. Definitions: In this Act, unless the context otherwise requires,-

(*f*) 'unlawful activity', in relation to an individual or association, means any action taken by such individual or association (whether by committing an act or by words, either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise),—

(*i*) which is intended, or supports any claim, to bring about, on any ground whatsoever, the cession of a part of the territory of India or the secession of a part of the territory of India from the Union, or which incites any individual or group of individuals to bring about such cession or secession;

(*ii*) which disclaims, questions, disrupts or is intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India;

(*g*) 'unlawful association' means any association—

(*i*) which has for its object any unlawful activity, or which encourages or aids persons to undertake any unlawful activity, or of which the members undertake such activity; or

(*ii*) which has for its object any activity which is punishable under Section 153-A or Section 153-B of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), or which encourages or aids persons to undertake any such activity, or of which the members undertake any such activity:

Provided that nothing contained in sub-clause (*ii*) shall apply to the State of Jammu and Kashmir.

These definitions make it apparent that the determination of the question whether any association is, or has become, an unlawful association to justify such declaration under sub-section (1) of Section 3 must be based on an objective decision;

and the determination should be that "any action taken" by such association constitutes an "unlawful activity" which is the object of the association or the object is any activity punishable under Section 153-A or Section 153-B IPC. It is only on the conclusion so reached in an objective determination that a declaration can be made by the Central Government under sub-section (1) of Section 3.

12). An "unlawful activity", defined in clause (*f*), means "any action taken" of the kind specified therein and having the consequence mentioned. In other words, "any action taken" by such association constituting an "unlawful activity" must have the potential specified in the definition. Determination of these facts constitutes the foundation for declaring an association to be unlawful under sub-section (1) of Section 3 of the Act. Clause (*g*) defines "unlawful association" with reference to "unlawful activity" in sub-clause (*i*) thereof, and in sub-clause (*ii*) the reference is to the offences punishable under Section 153-A or Section 153-B of the Indian Penal Code. In sub-clause (*ii*), the objective determination is with reference to the offences punishable under Section 153-A or Section 153-B of the IPC while in sub-clause (*i*) it is with reference to "unlawful activity" as defined in clause (*f*). Sub-section (2) of Section 3 requires the notification issued under sub-section (1) to specify the grounds on which it is issued and such other particulars as the Central Government may consider necessary. This requirement indicates that performance of the exercise has to be objective together with disclosure of the basis of action to the association.

13). Ordinarily a notification issued under sub-section (1) of Section 3 becomes effective only on its confirmation by the Tribunal by an order made under Section 4 after due inquiry; but in extraordinary circumstances, which require that it may be brought into effect immediately, it may be so done for "reasons to be stated in writing" by the Central Government, and then also it is subject to any order made by

the Tribunal under Section 4 of the Act. Section 3 requires an objective determination of the matter by the Central Government and Section 4 requires confirmation of the act of the Central Government by the Tribunal. Section 4 deals with reference to the Tribunal. Sub-section (1) requires the Central Government to refer the notification issued under sub-section (1) of Section 3 to the Tribunal **"for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the association unlawful"**. The purpose of making the reference to the Tribunal is an adjudication by the Tribunal of the existence of sufficient cause for making the declaration.

14). The words 'adjudicating' and "sufficient cause" in the context are of significance. Sub-section (2) requires the Tribunal, on receipt of the reference, to call upon the association affected "by notice in writing to show cause" why the association should not be declared unlawful. This requirement would be meaningless unless there is effective notice of the basis on which the declaration is made and a reasonable opportunity to show cause against the same. Sub-section (3) prescribes an inquiry by the Tribunal, in the manner specified, after considering the cause shown to the said notice. The Tribunal may also call for such other information as it may consider necessary from the Central Government or the association to decide whether or not there is sufficient cause for declaring the association to be unlawful. The Tribunal is required to make an order which it may deem fit "either confirming the declaration made in the notification or cancelling the same".

15). The nature of inquiry contemplated by the Tribunal requires it to weigh the material on which the notification under sub-section (1) of Section 3 is issued by the Central Government, the cause shown by the Association in reply to the notice issued

to it and take into consideration such further information which it may call for, to decide the existence of sufficient cause for declaring the Association to be unlawful. The entire procedure contemplates an objective determination made on the basis of material placed before the Tribunal by the two sides; and the inquiry is in the nature of adjudication of a lis between two parties, the outcome of which depends on the weight of the material produced by them. Credibility of the material should, ordinarily, be capable of objective assessment. The decision to be made by the Tribunal is "whether or not there is sufficient cause for declaring the Association unlawful". Such a determination requires the Tribunal to reach the conclusion that the material to support the declaration outweighs the material against it and the additional weight to support the declaration is sufficient to sustain it. The test of greater probability appears to be the pragmatic test applicable in the context.

16). Despite no opposition on behalf of these associations who are to be declared as unlawful and no material placed by them before the Tribunal, the material relied on and placed by the Central Government and the reason disclosed by the Central Government for forming an opinion for declaration of these association as 'Unlawful Association' requires objective assessment of the credibility of the material relied on by the Central Government and the sufficiency of cause shown.

17). Deposition of the Director posted in the Ministry of Home Affairs Shri R.R.Jha was filed. He deposed that both the National Liberation Front of Tripura (NLFT) and the All Tripura Tiger Force (ATTF) have been spreading secessionist tendencies by demanding separation of Tripura from rest of India and creation of a separate country. While the National Liberation Front of Tripura (NLFT) has been demanding a separate country since its inception, the secessionist tendencies of the All Tripura Tiger Force (ATTF) have become more clear with its political Wing, the Tripura People's Democratic Front (TPDF) formed in 1997, talking of 'national

freedom' through an armed movement and terming Indian Army/Security forces (SFs) as 'Indian Occupation Forces' and India's independence as their 'colonial bondage'. Both the outfits not only believe in armed revolution and violence as a means to achieve their goal but also have been indulging in frequent violence, killing innocent people and causing ethnic disturbances. Both the outfits have also been boycotting celebrations of National Days. Other details like aims and objectives, name of office bearers, links with other North-East outfits and foreign links etc. of the National Liberation Front of Tripura (NLFT) and the All Tripura Tiger Force (ATTF) have also been given. He stated that the violence and extortions by both the National Liberation Front of Tripura (NLFT) and the All Tripura Tiger Force (ATTF) have been continuing despite declaration of 37 Police Stations in the state as fully/partially disturbed. During 1999-2003, the number of persons killed by ATTF reached its peak in 2003. However, of late, the violent incidents committed by the NLFT and the ATTF have shown some decline because of effective counter insurgency operations by the State Government of Tripura. The decline in killings by NLFT could also be attributed to the surrender of 145 cadres of a faction of NLFT led by Shri Nayanbasi Jamatia in pursuance of signing of an agreement for "Suspension of Operation" with the Government of India and Government of Tripura on 15th April 2004 and signing of 'Memorandum of settlement' on 17th December, 2004. Both the outfits have been advocating ouster of non-tribals, particularly Bengalis, from Tripura and attacking them whenever the outfits get an opportunity, giving rise to frequent ethnic clashes/tensions on the slightest provocations. He deposed that very strong undercurrent of tribal – non-tribal tension continues in the state due to the activities of these terrorist outfits. Details of major incidents committed by the NLFT and the ATTF UGs in 2004-2005 (December, 2005) have also been given along with the affidavit.

18). Deposition of resident commissioner of Government of Tripura has also been filed who deposed that the two militant outfits, NLFT and AAFT and their factions are active within the State of Tripura. Their aims and objectives are outright secessionist and they indulge in violent activities in the State. He stated that the provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act, of 1967 were invoked by the Government of India for the first time in 1997. Since these two organizations have continued in their secessionist and violent activities, the ban has been continued till date. Details of these banning orders were given by him which are as under:

i.	Notification No. S.O. 291(E) dated 03.04.1997:	NLFT
ii.	Notification No. S.O. 292(E) dated 03.04.1997:	ATTF
iii.	Notification No. S.O. 226(E) dated 03.04.1999:	Both
iv.	Notification No. S.O. 968(E) dated 03.10.2001:	Both
v.	Notification No. S.O. 1164(E) dated 03.10.2003:	Both
vi.	Notification No. S.O. 1446 (E) dated 03.10.2005	Both

19). The Joint Resident Commissioner on behalf of the State of Tripura contended that NLFT and ATTF along with their factions continue to espouse secession of Tripura from the Union of India as their aim and objective, and to achieve this objective they continue to indulge in secessionist, subversive, violent and terrorist activities. The constitutions of the NLFT and ATTF speak of secession from the Indian Union as their objective. True copies of the constitution of NLFT and ATTF, in circulation, were also produced by him. He also gave short history of Tripura, formerly a princely state, which was integrated into the Union of India in October 1949. After its merger, Tripura has become an integral part of India. However, to achieve their

secessionist aims and objectives, ATTF and NLFT and their factions have illegally adopted a separate Constitution providing for a "Separate 'People's Republic Government" with the trappings of a civilian setup. The deponent stated that they have also maintained a separate armed wing with a hierarchical setup on the pattern of the regular army. They are equipped with a large number of lethal weapons, including sophisticated weapons of massive destruction. Since their inception/formation, the NLFT and ATTF along with their factions have been responsible for a large number of subversive activities. With the objective of achieving their professed aim of establishing an independent 'Borokland Tripura' by 'liberating' Tripura from the Indian Union, the NLFT and ATTF and their factions have been indulging in various secessionist and subversive activities aiming at threatening the sovereignty of the country, disturbing public order and development of the State and creating terror among the people. The activities include attack on police and paramilitary forces, looting of arms and ammunitions, violence against civilians, kidnappings and extortion. They also continue to procure arms and ammunition by illegal means and use them to disturb peace and tranquility and subvert the Constitution of India and the laws framed there under. They are also engaged in extortion of money from the people and Government employees through 'Tax Notices'. Copies of these Notices were also produced by the State of Tripura and proved. The latest trends of these organizations were stated to be:

a) Continued espousal of the policy of secession of Tripura from India by the NLFT and formation of a separate nation of seven sisters by the ATTF.

b) Continued engagement in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India.

c) Continued adoption of violence and terror through armed action as a means for achieving their objectives.

d) High levels of extortions and illegal tax collections from the public including businessmen, traders and Government employees.

e) Links and support to other North-Eastern insurgent groups. While the NLFT has developed links with the Isak-Muivah faction of the National Socialist Council of Nagaland [NSCN(I/M)], the ATTF has developed links with the United Liberation Front of Asom (ULFA) and the Meitei Extremist Organisations of Manipur.

f) Continued maintenance of sanctuaries, safe-heavens and training camps in neighbouring Bangladesh.

g) Procurement of large number of sophisticated arms and ammunition through clandestine channels or by snatching from various security forces.

20). It was deposed on behalf of the Government of India and State Government of Tripura that the declaration of these outfits as 'unlawful associations' is necessary since both the NLFT and the ATTF are extremely active and mobilizing their cadres for escalating secessionist, subversive, terrorists and violent activities. Both the NLFT and the ATTF continue to resort to massive mobilization of funds by unlawful tax collections, extortion and even kidnapping and abduction for ransom. In case of any delay in extension of the notification, these organizations might take undue advantage of the situation. It might also provide an opportunity to the leadership of these organizations to openly propagate anti-national activities in collusion with foreign powers inimical to India's security concerns. The Police and security Forces in such an eventuality will find it difficult to detain and prosecute those apprehended by them. Various incidents were deposed about indicating that circumstances do exist which render it necessary to declare the NLFT and the ATTF as Unlawful Associations with effects from 3.10.2005 and to give effect to the said declaration immediately.

21). The Tribunal also held its sitting at Agartala after due notice. Statements of various officials and other witnesses were recorded. In the Tribunal sitting on 10th March,2006 seven witnesses were examined. These witnesses are as under:

i. Mr.S.K. Darlong, SP, Special Branch, Tripura

ii. Sh. J.K. Sinha, District Magistrate, West District, Tripura.

iii. Mr. Rajesh Kamble, S.P. West District, Tripura

iv. Mr.Arindam Nath, S.P., Dhalai District, Tripura

v. Mr.Nitya Nanda Sarkar, SI, Birganj PS, South District, Tripura.

vi. Mr.Sanku Sinha, Kumarghat PS, North Tripura

vii. Mr.Akul Chandra Nath, Dasda, North Tripura

Mr.S.K. Darlong, SP, Special Branch, Tripura deposed as under:

> " Two organizations who are carrying on secessionist activities in the State of Tripura are NLFT (National Liberation Front of Tripura) and ATTF (All Tripura Tiger Force), with their various factions. These two organizations have their own separate Constitutions. I have seen and read the copies of their Constitutions. I have brought the photocopies of the said constitutions. It is these photocopies which are widely circulated in the State. True typed copies of the respective constitutions of these two organizations have been filed on the record of this Tribunal at pages 12-40 & 41-55 in Volume-I.
>
> As per my personal knowledge and also based on State Intelligence Reports, these two organizations have been indulging and continue to indulge in looting, kidnapping and attacking the security forces in the State. Their cadre is organized and to my knowledge they are getting arms and ammunitions from black market and from foreign countries including Bangladesh and via Mynamar. The secessionist activities are going on unabated. Some of these violent and criminal activities to my knowledge are also reflected in paragraph 8 of the affidavit of Sh. M.L.Dey which has been filed before this Tribunal. I am also aware of number of incidents of such secessionist activities of these organizations even during the past six months.
>
> I know that during the Assembly elections in February, 2003 boycott calls urging people not to take part was given by all ATTF & NLFT. They give boycott calls for any event having any national significance. Their calls to boycott events

of national importance is continuing unabated till today, including Independence & Republic Day celebrations. They gave boycott calls for the local elections held on 27th February and 3rd March 2006. Whenever boycott calls are given, we pass on the information to the security forces and extra forces are deployed for carrying out peaceful polls and to inculcate confidence in people so that they may take part in the electoral process. The information which has been compiled in tabular format in paragraph 14 of the affidavit of Mr.M.L.Dey was provided by me on the basis of available official records and it is correct. The same has been brought by me today. The incidents of various crimes, the nature of which has been disclosed in para 14, have continued almost at the same scale even after 30.11.2005.

I also remember quite distinctly an incident of January, 2006 when the security forces were fired upon by the members of these two organizations in which one security personnel was grievously injured and three civilians had died. An FIR was registered in this regard. There are many other incidents of such nature and the activities of these two organizations are continuing unabated till date.

Mr. Rajesh Kamble, S.P. West District, Tripura also deposed and stated before Tribual

" I have brought the FIRs which were filed in respect of various incidents which took place in different districts in Dhalai, North Tripura, South Tripura and West Tripura. I have compared the typed copies with their respective originals and the same are true and correct. The FIRs were registered on account of various incidents and at the instance of various persons. The true typed copies of the said FIRs are collectively exhibited as Exhibit 7.

I have knowledge about the FIRs which were registered at different places. I have knowledge about the various persons killed in various incidents. Details of some of the persons killed pursuant to which various FIRs were recorded have been detailed in the affidavit of Mr.M.L.Dey at pages 332-344 in Volume-II. Such details have been compiled from the official records available with the State. I have compared the same and state that they are true and correct. This list is marked as Exhibit 8."

22). Mr.Sanku Sinha and Mr.Akul Chandra Nath, two witnesses appeared before Tribunal and deposed that they were abducted by these unlawful associations members. Relevant portion of testimony of Mr. Sanku Sinha is as under:

The persons who kidnapped me had told me that they are the members of NLFT. My kidnappers tried to persuade me to

> join them and they were claiming that an independent Borokland of Tripura is to be formed by liberating Tripura from the Indian Union. I was kept in a camp for one month and 14 days and they have a military-type setup and most of these persons were heavily armed and they have their own base and this is their full-time occupation. My brother had to pay Rs.1.60 lakh for my release. I was not told about the amount of consideration for my release during my captivity but I came to know about it only after I was released. My brother is Head of a Panchayat. For collecting this amount, my brother had to sell our household articles and the cattle. I am a cultivator.

Another person who stated that he was kidnapped by the members of these associations is Mr. Akul Chandra Nath who also gave graphic detailed about his kidnapping which is as under:

> " I was kidnapped by persons claiming to be members of NLFT in January 2004. I know that they are from NLFT because they themselves told me during my captivity. I was kept in captivity for two months. The people who kidnapped me were eight in numbers. My family sold the land and collected Rs.60,000/-. This was paid to the group headed by a person named Barnjoy Reang of NLFT. When I was in their captivity they used to profess openly that the State of Tripura is to be liberated. Most of them had AK-47 and SLR Carbines. I know about the make of the weapons because I was told by them and I identify such weapons. I was kept in the hills and jungles, exact location of which I do not know but they had camps there. I was told that they were confining me in a camp located in Bangladesh. To my knowledge, such kidnapping activities are still going on in the area where I live. Another person who has been kidnapped is named Anukul Das. Haradhan Das is another person who was kidnapped. Such kidnappings are very frequent in the area where I live. The persons claiming to be the members of NLFT also visit the area where I live and demand and collect tax. Though the complaints are made to the police and police take actions, despite that all these activities are continuing."

23). Despite due publicity and notice about the Tribunal and its sitting at Agartala, neither any application, reply or any material was produced on behalf of NFLT and AATF refuting the pleas raised by the Government seeking a declaration that these associations as unlawful. The testimonies of the witnesses examined have remained un-refuted and un-rebutted. From plethora of documents produced and proved and

testimony of the witnesses, it is reasonable to draw an inference that that both the organizations are engaged in subversive and secessionist activities in many part of Tripura; they aree operating from across the border from Bangladesh and it, therefore, becomes difficult for the police and other forces to curtail their activities completely and easily. Modus operandi of these organizations seems to be to terrorize people with arms and threaten certain communities to leave certain areas of Tripura. In view of this substantial evidence produced, it is reasonable to believe that these associations and there members are engaged in killing and kidnapping for ransom of innocent people and Government officials as a result of which development activities are hampered. The Constitution of the aforesaid banned organizations have also been produced and proved by the witnesses. Perusal of the Constitutions of NFLT and AAFT shows that the main objective of these associations seems to be to form a separate country comprising of the seven states of North East, namely, Tripura, Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland, Meghalaya and Arunanchal Pradesh and for this purpose these association wants to support all sorts of movements and utilize their own forces. In view of all this evidence which has not been refuted and which can not be disbelieved, it is probable to infer that the main objective of the National Liberation Front of Tripura seem to be to overthrow the democratically elected Government from Tripura with armed struggle with a view to have a distinct and independent identity of the Bork civilization of Twipra; to liberate the 'Borokland Twipra' complete freedom and transform it to alleged People's Republic. With a view to achieve the objective of setting up of its own independent government and overthrow the alleged capitalist Government of India, their Constitution provides that it will have its own independent flag, constitution of emblem and official language. To achieve this objective, even from their Constitution resorting to force can be inferred. The Government has also placed on record receipts issued by National

Liberation Front of Tripura regarding extortion of money from Panchayat officials and individuals in the name of revenue and tax.

24). A perusal of the statements of the witnesses, their depositions on the affidavits and documents placed on record and proved including the Constitution of National Liberation Front of Tripura and All Tripura Tiger Force, subscription notices and extortion receipts, it is clear that objectives of both the National Liberation Front of Tripura and All Tripura Tiger Force are secessionist to establish an independent identity of Borokland Tripura as well as separate country comprising of the seven North-Eastern States. The learned counsels have shown in detail various FIRs recorded for various violent incidents. A very distinct and organized pattern is decipherable. The area of operation of these organizations mainly include West Tripura, Dhalai, North and South Tripura. From the evidence produced, it is reasonable to infer that these associations possess sophisticated fire arms procured from illegal sources and they are continuing to follow the policy of secession from India and they are continuing to indulge in activities pre-judicial to the sovereignty and integrity of India and indulging in violence and terror through armed action with a view to achieve their objective. They are also indulging in extortion and illegal tax collection from public including businessmen, traders and even Government employees and they have links with and support of other North-East insurgent groups. They are continuing to maintain sanctuaries, safe heavens, training camps in neighboring Bangladesh and are procuring large number of sophisticated arms and ammunitions through clandestine channels or by snatching from various security forces. Various incidents have been pointed out and their FIRs have been shown and other relevant facts have been established. There is sufficient material in the facts and circumstances which shows that these associations are indulging in killing of civilians, armed personnel and are resorting to looting, extortion and other criminal

acts and are creating a climate of lawlessness. It is manifest in the circumstances that both the aforesaid associations, namely, National Liberation Front of Tripura and All Tripura Tiger Force are resorting to acts of killing of civilians, army and police personnel, extortion of funds from public and traders in Tripura for procuring sophisticated arms and ammunitions through clandestine channels or by snatching from various security forces. These organizations have links with and support of other north eastern secessionist insurgent groups. It is also established from the material on record that these associations are indulging in various violent activities of extortion, looting and are creating a climate of lawlessness in the State of Tripura. Their activities are intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India and if they are not checked, not only that the unlawful activities will increase but also an atmosphere may be created in the State for secession from India. The organizations are advocating and practicing the secession of a part of the territory of India from the Union and are inciting the individuals and groups of individuals to bring about secession from the country. In the circumstances, the inevitable inference is that their activities have substantial threat to the sovereignty and integrity of the country.

25). The Government had relied on the following reasons in support for continuance of ban and extension of Notification declaring the 'NLFT' and 'ATTF' as unlawful Associations for a further period of two years beyond 3rd October, 2005 :-

i. continued espousal of the policy of secession of Tripura from India by the NLFT and formation of a separate nation of seven sisters by the ATTF;

ii. continued engagement in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India;

iii. continued adoption of violence and terror through armed action as a means for achieving their objectives;

iv. high levels of extortions and illegal tax collections from the public including businessmen, traders and Government employees;

v. links and support to other North-Eastern insurgent groups. While the NLFT has developed links with the Isak-Muivah faction of the National Socialist Council of Nagaland [NSCN(I/M)], the ATTF has developed links with the United Liberation Front of Asom (ULFA) and the Meitei Extremist Organisations of Manipur;

vi. continued maintenance of sanctuaries, safe-heavens and training camps in neighbouring Bangladesh;

vii. procurement of large number of sophisticated arms and ammunition through clandestine channels or by snatching from various security forces.

27). These reasons have been substantiated by the Government by overwhelming material produced and proved on record. These activities of these associations, NLFT & ATTF, clearly amount to unlawful activities within the meaning of Section 2(f) of the Act. The associations pursuing such activities are, therefore, undoubtedly unlawful associations within the meaning of Section 2(g) of the Act. Therefore, the Central government is fully justified in declaring the said NLFT and ATTF as the unlawful associations. This Tribunal see no reason why this declaration should not be confirmed.

28). For the foregoing reasons, I am satisfied that there was sufficient cause for declaring the National Liberation Front of Tripura and the All Tripura Tiger Force as unlawful associations. This Tribunal, accordingly, confirm the declaration made by the Central Government vide notification no. 1446 (E) dated 3rd October, 2005 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

The reference is thus answered affirmatively.

New Delhi
31st March, 2006

ANIL KUMAR J.
Unlawful Activities (Prevention) Tribunal

[F. No. 11011/47/2005-NE. III]

RAJIV AGARWAL. Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.